उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

सं0: 3410 –मा0सं0–01/विउनिलि/2026–20–मा0सं0–01/2005(टीसी) दिनॉक :29 सितम्बर, 2026

कार्यालय ज्ञाप

का0ज्ञा0सं0: 2065–मा0सं0–01/विउनिलि/2026 दिनांक 24.06.2026 द्वारा चयन वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती व प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची (Tentative Seniority List) निर्गत करते हुए उसके विरुद्ध आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी थीं। उक्त के क्रम में निम्नवत् प्रत्यावदेन प्राप्त प्राप्त हुए हैं :–

1. श्री अश्विनी कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 25.06.2026
2. श्री राजीव सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
3. सुश्री अनुराधा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
4. श्री प्रमेन्द्र कुमार चौधरी, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
5. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
6. श्री अजय कुमार अग्रवाल, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
7. श्री नीरज कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
8. श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
9. श्री अरुण सिंह कुशवाहा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
10. श्री विजय कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
11. श्री प्रियदर्शी चन्द्रशेखर, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
12. श्री यशवन्त कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
13. श्री मोती लाल यादव, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
14. श्री उदय प्रताप, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
15. श्री उत्तरेश कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
16. श्री शिव कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
17. श्री श्याम कृष्ण, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
18. श्री कृपा शंकर मौर्या, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
19. श्री सुरेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 27.06.2026
20. श्री नरोत्तम दास, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
21. श्री सुरेश कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
22. श्री लिखनेश्वर प्रसाद शुक्ला, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक शून्य
23. श्री कलीम इस्माईल, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
24. श्री अवनीश कुमार मिश्रा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
25. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
26. श्री अर्जुन लाल, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
27. श्री राम केश सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026

क्रमश : 2/–

28. श्री शराफत अली, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
29. श्री अमरजीत, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
30. श्री राघवेन्द्र मिश्र, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
31. श्री इन्द्र विजय सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक शून्य
32. श्री संतोष कुमार सोनकर, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
33. राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन का पत्र सं0: 95/डी0जी0–10, दिनाँक 30.06.2026
34. श्री पूरन चन्द, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 27.06.2026
35. श्री भरत सिंह धनगर, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 27.06.2026
36. श्री पवन कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 27.06.2026
37. श्री मनोज कुमार चौधरी, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 27.06.2026
38. श्री विजय कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 27.06.2026
39. श्री अनूप वर्मा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
40. श्री राकेश कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
41. श्री नितेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
42. श्री हरजीत सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
43. श्री विभोर अग्रवाल, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
44. श्री अंकित कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 28.06.2026
45. श्री अरविन्द कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 28.06.2026
46. श्री आलोक सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक शून्य
47. श्री राहुल सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
48. श्री अभिषेक चौहान, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
49. श्री रीतेश सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक शून्य
50. श्री प्रशान्त प्रेम, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
51. श्री महावीर प्रसाद, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
52. श्री बृजेश चौधरी, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
53. श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक शून्य
54. श्री असुरजीत शर्मा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 28.06.2026
55. श्री संतोष कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 28.06.2026
56. श्री अनूप चन्द्र, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 28.06.2026
57. श्री शैलेश कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 28.06.2026
58. श्री विवेक कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
59. श्री पवन कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 28.06.2026
60. श्री प्रभात कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026
61. श्री राजेश कुमार मौर्या, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 29.06.2026

क्रमश : 3/–

Kewan.

62. श्री सुशील कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 28.06.2026
63. श्री बलराम, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 28.06.2026
64. श्री संतोष कुमार आनन्द, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 28.06.2026
65. श्री दीपक कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक शून्य
66. श्री प्रदीप कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक शून्य
67. श्री अभिषेक कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 28.06.2026
68. श्री सुशील कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 28.06.2026
69. श्री वीरेन्दर कुमार जौहरवाल, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 30.06.2026
70. श्री लोकेश कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026
71. श्री गनेश प्रसाद शर्मा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026
72. श्री बिपिन कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026
73. श्री अनिल कुमार यादव, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026
74. श्री सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 02.07.2026
75. श्री रंजीत प्रसाद, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 03.07.2026
76. श्री विनय कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 03.07.2026
77. श्री शैलेश कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 02.07.2026
78. श्री योगेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026
79. श्री पंकज सक्सेना, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 03.07.2026
80. श्री शिव कुमार भारतीय, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 03.07.2026
81. श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 03.07.2026
82. श्री भरत गिरि, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026
83. श्री पंकज श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026
84. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 03.07.2026
85. श्री अभय कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026
86. श्री अभयनाथ चौधरी, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 03.07.2026
87. श्री मनोज श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 02.07.2026
88. श्री पंकज राव, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026
89. श्री सुनील कुमार सचान, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 03.07.2026
90. श्री इमामुद्दीन अंसारी, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026
91. श्री विक्रमजीत सिंह, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026
92. श्री सुनील कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 03.07.2026
93. श्री प्रशान्त वर्मा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 02.07.2026
94. श्री आलोक अस्थाना, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026
95. श्री मनु कुमार मिश्रा, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026

क्रमश : 4/-

Kewar.

96. श्री प्रशान्त श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 03.07.2026
97. श्री आशीष कुमार शुक्ला, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026
98. श्री कमल किशोर, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 04.07.2026
99. श्री इल्ताफ अली, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 14.07.2026
100. श्री दीन दयाल प्रसाद मौर्य, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 07.07.2026
101. श्री प्रदीप कुमार, सहायक अभियन्ता का पत्र दिनाँक 07.07.2026
102. श्री सुरेश कुमार द्वारा याचिका सं0: 9045/2026 सुरेश कुमार प्रजापति व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 19.08.2026

2– उपर्लिखित 102 प्रत्यावेदनों को आपत्तियों के आधार पर वर्गीकरण करते हुए उनका अभिकथन व उसके संदर्भ में निस्तारण आख्या निम्नवत् है :–

(I) <u>कमांक 1 ने अभिकथन किया है कि</u> चयन वर्ष 2009–10 में उनकी प्रोन्नति, आदेश संख्या–2425/मा०स०–01/वि०उ०नि०लि०/2009, दिनांक 06–08–2009 द्वारा 8.33% कोटा के अंतर्गत हुई थी। अग्रेतर उन्होंने अवगत कराया है कि प्रोन्नति के 50% (40%+8.33%+1.67%) के अनुपातानुसार यदि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में प्रोन्नति के (40% कोटा) अभ्यर्थी के पश्चात द्वितीय प्रोन्नति अभ्यर्थी के रूप में (8.33% कोटा) के अभ्यर्थी का स्थान दिया जाना चाहिए, ऐसा उनको व्यक्तिगत ज्ञात है तथा पूर्व में भी ऐसा ही संविलिनिकरण (8.33% कोटा) के अभ्यर्थी को किया जा चुका है। उक्त के दृष्टिगत इन्होंने उक्त आपत्ति का उचित निराकरण कराते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में इनको उचित क्रम पर स्थापित कराने का अनुरोध किया है।

<u>निस्तारण आख्या</u> :–

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1998 के विनियम–8 यथा "उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जाय" के प्रस्तर 2(ख) में निम्नवत प्राविधानित है :–

"पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्ग से होती है यथास्थिति, विनियम–6 या विनियम–7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।"

यह भी उल्लेखनीय है कि विनियम–6 में स्पष्ट प्राविधानित है कि "जहां सेवा विनियमों के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।"

उक्त प्राविधानान्तर्गत ही पोषक संवर्ग में आपत्तिकर्ता द्वारा धारित ज्येष्ठता के अनुसार का0ज्ञा0सं0: 2065–मा०स०–01/विउनिलि/2026 दिनांक 24.06.2026 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में इनकी ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है, जो कि पूर्णतः उचित है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपत्तिकर्ता का अभिकथन स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

(II) <u>कमांक 2 से 19 तक ने अभिकथन किया है कि :–</u>

1. अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, एवं 13 पर प्रोन्नत/सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ताओं को वरिष्ठता सूची में ऊपर रखा गया है जबकि यह सभी सातों प्रोन्नत/सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा (7) तथा उ०प्र० सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम–2007 द्वारा निदिृष्ट नियम 8 (क) को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांकः 27.04.2012 में **Ultra vires** घोषित किये जाने के फलस्वरूप, उ०प्र० शासन के आदेश संख्या 8/4/1/2002 टीसी–1 का–2/2025, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में उ०प्र० राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञापन संख्या 1528/मा०सं०–02/उनिलि/2025, दिनांकः 25.08.2015 तथा इसी क्रम में शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 2202/24–पी 2205/24–पी–2–2015–सा० (130)/15 टी०सी०–2 दिनांकः 26.08.2015 एवं आदेश संख्या 2205/24–पी 2205/24–पी–2–2015–सा0 (130)/15 टी०सी०–2 दिनांकः 27.08.2015 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या 3072–मा०सं०–03/उनिलि/2015–5(11)–मा0सं0–03/2015 दिनांकः 03.10.2015 एवं पत्र सं०

क्रमश : 5/–

Paswan

3085–मा०सं०–03/2015 दिनांकः 05.10.2015 द्वारा परिचालकीय संवर्ग से अवर अभियन्ता पद पर प्रोन्नत/चयनित उन कार्मिकों जिनको धारा–3 (7) के अन्तर्गत प्रोन्नति का लाभ प्राप्त हुआ है, को उनके पोषक संवर्ग के पद पर पदावनत कर उन्हें वर्ष 2005 में अवर अभियन्ता पद पर प्रोन्नत/चयनित अवर अभियन्ताओं में अनारक्षित वर्ग के अन्तिम चयनित कार्मिकों के ठीक नीचे सज्जित/स्थापित किये जाने के आदेश निर्गत किए गए थे।

उक्त आदेश के क्रम में :–

(क) कार्यालय ज्ञाप संख्या 389/मा०सं०–03/उनिलि/2006, दिनांकः 16.02.2006 द्वारा घोषित वरिष्ठता एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में लैब असिसटैंट से अवर अभियन्ता के पद पर नियुक्त कार्मिकों की कार्यालय ज्ञाप संख्या 4094/मा०सं०–03/उनिलि/2012, दिनांकः 04.10.2012 द्वारा नई स्थापित वरिष्ठता सूची एवं कार्यालय ज्ञाप सं० 3072–मा०सं०–03/उनिलि/2015–5(11) मा०सं०–03/2015 दिनांकः 03.10.2015 में उल्लेखित कार्मिक जिनका नाम उक्त वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 384 से 441 तक अवस्थित है, विलोपित किया जा चुका है। विलोपित अभियन्ता जिनका नाम त्रुटिवश चयन वर्ष 2009–2010 की सूची में ऊपर रखा गया है विवरण निम्नवत है :–

कार्यालय ज्ञाप संख्या 389–मा०सं०–03/2006 दिनांक 16.02.2006 में अवर अभियन्ता (वि०एवंया०) के ज्येष्ठता सूची में क्रम संख्या	नाम
403/2000020	इं० शिवपूजन
407/2000024	इं० गोपाल दास
409/2000026	इं० राममूर्ति
414/2000031	इं० रमेश चन्द्र
417/2000034	इं० ओम प्रकाश
425/2000042	इं० धर्मवीर सिंह
426/2000043	इं० देवीदीन

2. पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के विघटन के पश्चात कॉमन कैडर के कार्मिकों का अन्तिम आमेलन प्रक्रिया वर्ष 2005 में पूर्ण हुई थी। सूच्य है कि तत्कालीन वर्ष 2007–2008 में प्रबन्ध निदेशक, उनिलि महोदय द्वारा निदेशक मण्डल में प्रस्तुत एजेण्डा नोट–22 के अनुसार निगम में कुल 809 सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के पद स्वीकृत थे जिनके सापेक्ष कार्मिकों की स्थिति निम्नवत थी:–

वर्ग/श्रेणी	स्वीकृत पद			कार्यरत पद			रिक्त पद		
	सीधी भर्ती	40 प्रतिशत प्रोन्नति	8.33 प्रतिशत प्रोन्नति	सीधी भर्ती	40 प्रतिशत प्रोन्नति	8.33 प्रतिशत प्रोन्नति	सीधी भर्ती	40 प्रतिशत प्रोन्नति	8.33 प्रतिशत प्रोन्नति
सामान्य वर्ग	202	250	52	127	146	39	184	104	13
पिछड़ी जाति	109								
अनु0 जाति	86	68	14	43	18	03	43	50	11
अनु0 जन जाति	08	06	01	01	00	00	07	06	01
कुल	405	324	67	171	164	42	234	160	25

क्रमशः 6/–

विज्ञापन संख्या 4/VSA/2006 द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में ई० एण्ड एम० संवर्ग के 270 सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर विज्ञापित हुए थे (सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त निगम से प्राप्त पत्रांक 2136–मा0स0–01/वि०उ०नि०लि०/2020–12(18)मा०सं०–01/2020, दिनांकः 11 अगस्त 2020 द्वारा सन्दर्भित)। उक्त विज्ञप्ति 270 के सापेक्ष 253 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था तथा 253 नियुक्ति पत्र निर्गत किये गये थे। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि सीधी भर्ती के निगम में 405 पद स्वीकृत होने तथा तत्समय (2007–2008) में सीधी भर्ती के रिक्त 234 सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के सापेक्ष 270 पद सीधी भर्ती से विज्ञापित किये गये थे, जो रिक्त पदों की कुल संख्या (234–270 = –36) पद अधिक थे परन्तु उसी चयन वर्ष तक पदोन्नति कोटा (40% + 8.33% = 48.33%) के कुल (160+25=185) बैकलॉग में रिक्त थे।

उ०प्र० विद्युत सुधार अधिनियम–1999 एवं उ०प्र० विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम 2000 के अन्तर्गत दिनांकः 14 जनवरी, 2000 को उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद को तीन निगमों यथा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन लि० एवं उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० में विभाजित किया गया, जिसकी धारा–6 (10) में निम्नवत व्यवस्था हैः–

"Subject to the provisions of the Act- and this scheme] the transferee shall frame regulations governing the conditions of service of personnel transferred the transferee under this scheme and till such time] the existing service conditions of the Board shall-"

उक्त के सम्बन्ध में निगम द्वारा आदेश संख्याः सचिव/उनिलि/151, दिनांकः 18.02.2000 निर्गत किया गया जिसमें स्पष्टतया उल्लेख किया गया कि उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा अपने अधिकारियों/कार्मिकों की सेवा शर्तों सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में विनियम बनाये जाने तक

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो।

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पररपर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, विनियम–6 या विनियम–7 में दिये गये सिद्वान्तों के अनुसार अवधारित की जायें।

भाग–दो, विनियम 8 (3): जहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाये वहाँ पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहाँ तक हो सके दोनों स्त्रोतों के लिए चिन्हित कोटा के अनुसार, चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

दृष्टान्तः जहाँ पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1 : 1 के अनुसार में हो, वहाँ ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :–

प्रथमः पदोन्नत व्यक्ति।

द्वितीयः सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

प्रतिबन्ध यह है कि :–

(एक) जहाँ किसी स्त्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से अधिक की जाए, वहाँ कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा, जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियाँ हो।

(दो) जहाँ किसी स्त्रोत से नियुक्तियों विहित कोटा से कम हो और ऐसी न भरी गई रिक्तयों के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाए, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेगें किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेगें जिसमें उनकी नियुक्तियों की जाए किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेगें, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेगें।

उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप, विनियम एवं ज्येष्ठता नियमावली उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद की विज्ञप्ति संख्या 84–विनियम–23/रविप–98 तद्दिनांकः 24 फरवरी, 1998 के भाग–दो विवियम 8(2) (क), (ख) एवं प्रतिबन्ध (एक) व (दो) को संज्ञानित कराते हुए, चयन वर्षः 2009–2010 हेतु घोषित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में निम्नवत् संघोधन किये जाने का अनुरोध किया है :–

1. सीधी भर्ती/प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं की चयन वर्षः 2009–2010 हेतु घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रम संख्याः 1, 3, 5, 7, 9, 11 एवं 13 पर अंकित प्रोन्नत/सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ताओं का नाम कार्यालय ज्ञाप संख्या 3085–मा०सं०–03/उनिलि/2006–

क्रमश : 7/–

Paawan

5(11)–मा०सं०–03/2015, दिनांक 05.10.2015 के पैरा (क) में उल्लेखित कार्यालय ज्ञाप संख्या 389–मा०सं०–03/उनिलि/2006, दिनांकः 16.02.2006 द्वारा निर्गत अवर अभियन्ताओं की निगमीय अन्तिम ज्येष्ठता सूची से पोषक पद पर पदावनत होने के कारण क्रम संख्या 384 से 441 तक विलोपित किये जाने के कारण, चयन वर्षः 2009–2010 में से उक्त सातों प्रोन्नत/सेवानिवृत्त सहायक अभिन्ताओं का नाम वरिष्ठता सूची से हटाया जाना चाहिए।

2. तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा वर्षः 2007–2008 में निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा संख्या नोटः 22 में दर्शित तालिका में सीधी भर्ती के 234 सहायक अभिन्ताओं के रिक्त पद के सापेक्ष, सूचना का अधिकार अधिनिम–2005 द्वारा प्राप्त पत्र संख्या 2136–मा०सं०–01/वि०उनिलि०/2020–12(1)मा०सं०–01/2020 दिनांकः 11 अगस्त, 2020 द्वारा निगम ने अवगत कराया है कि विज्ञापन सं0 4/VSA/2006 द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में ई० एण्ड एम० संवर्ग के 270 विज्ञापित पदों के सापेक्ष 253 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था और सम्भवतः 253 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था जिसके सापेक्ष मात्र 148 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया गया था। सूच्य है कि उक्त विज्ञापित 270 पदों के विरूद्ध चयन वर्ष 2007–2008 से 253 अभ्यर्थियों का चयन एवं नियुक्ति पत्र जारी किये गए होगें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित Civil Appeal Nos- 5646-5647 of 2021 में दिनांकः 11.07.2008 को नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि के चयन वर्ष में ज्येष्ठता निर्धारण हेतु आदेशित किया है जिसके उपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं० 1714–मा०सं०–01/विउनिलि/2026–13(11)–मा०सं०–01/2011 (टीसी–2), दिनांकः 27 मई, 2026 द्वारा चयन वर्षः 2007–2008 से सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ता (वै० एवं यॉ०) की अन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची जारी हो चुकी है, परन्तु उसी चयन वर्ष 2007–2008 में (40% + 8.33% + 1.33%) –49.66% प्रोन्नत कोटा की रिक्तियों खाली हैं जिनकी संख्या उक्त तालिका के अनुसार 160+25=185 है। अतः उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के विज्ञप्ति सं० 84–विनियम–23/राविप–98 तद्दिनांक 24 फरवरी, 1998 के भाग–2 विनियम–8 प्रतिबन्ध–2 के अन्तर्गत "जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियों विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियो के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाए, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नही पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियाँ की जाए किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जाएगें, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियो के नाम चक्रानुक्रम में रखे जाएगें।" विनियम का अवलोकन करते हुए, चयन वर्ष 2008–2009 के ठीक बाद तथा चयन वर्ष 2009–2010 के शीर्ष पर प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता योजित करने की कृपा करें तदोपरान्त सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता का निर्धारण आयोग से प्राप्त अंकतालिका के क्रम मे रखते हुये अनन्तिम सूची संशोधन करने का अनुरोध किया है।

3. सूच्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित Civil Appeal Nos- 5646-5647 of 2021 में दिनांकः 11.07.2023 को उ०प्र० पावर कारपोरेशन के सहायक अभियन्ताओं के लिये पारित आदेश के अनुपालन में उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में पूर्व में लागू वरिष्ठता नियमावली (उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998) में संशोधन आदेश कार्यालय ज्ञाप सं० 1488–मा०सं०–01/विउनिलि/2026–13–मा०सं०–01/2011 (टीसी–2) दिनांक 15.05.2026 द्वारा जारी किया गया है। पूर्व में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित कई आदेशों में यह स्पष्ट रूप से दिशानिर्देशित किया गया है कि "संशोधनों की सीमायें होती हैं जिन्हें भूतलक्षीय प्रभाव से नहीं लागू किया जा सकता है।" अतः ज्येष्ठता संशोधन सम्बन्धी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिये न कि चयन वर्ष 2007–2008 से। उक्त आदेश को पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू करना माननीय न्यायालयों के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।

अतः इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित Civil Appeal Nos- 5646-5647 of 2021 में निहित आदेश नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि के चयन वर्ष में ज्येष्ठता निर्धारण हेतु निर्गत आदेश के क्रम में प्रोन्नति कोटा के अन्तर्गत रिक्त 185 पदों को उक्त उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के विज्ञप्ति सं० 84 दिनांकः 24 फरवरी, 1998 में निहित भाग–2 विनियम–8 के प्रतिबन्ध–दो में उल्लेखित प्राविधान के अन्तर्गत चयन वर्ष 2009–2010 में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं से पहले योजित करते हुए एवं संशोधन सम्बन्धी आदेश (कार्यालय ज्ञाप सं० 1488–मा0सं0–01/विउनिलि/2026–13–मा०सं०–01/2011 (टीसी–2) दिनांक 15.05.2026 तत्काल प्रभाव से लागू करते हुये अनन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत करने का अनुरोध किया है।

Parveen

क्रमशः 8/-

निस्तारण आख्या :–

अवगत कराना है कि घोषित की गयी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में ऐसे प्रोन्नत अभियन्ता सम्मिलित किये गये थे जिनकी प्रोन्नति चयन वर्ष 2009–10 में का0ज्ञा0सं0: 2425–मा0सं0–01/विउनिलि/2009 दिनांक: 06.08.2009, सं0: 3382–मा0सं0–01/विउनिलि/2009 दिनांक: 28.10.2009 तथा सं0: 666–मा0सं0–01/विउनिलि/2010 दिनांक: 11.03.2010 द्वारा अवर अभियन्ता पद से सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) पद पर की गयी थी। उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में चयन वर्ष 2009–10 में पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ पाये होने के कारण 22 ऐसे सहायक अभियन्ता, जिन्हें का0ज्ञा0सं0: 3170–मा0सं0–01/विउनिलि/2015 दिनांक: 06.10.2015 के माध्यम से अवर अभियन्ता पद पर पदावनत कर दिया गया था, को सम्मिलित नहीं किया गया था।

जैसाकि प्रत्यावेदनकर्ताओं ने अवगत कराया है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक: 01, 03, 05, 07, 09, 11 व 13 पर क्रमशः उल्लिखित सर्वश्री शिव पूजन, गोपाल दास, राम मूरत, रमेश चन्द्र, ओम प्रकाश, धर्मवीर सिंह तथा देवी दीन ऐसे कार्मिक हैं, जो कि पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ पाये हुए हैं तथा उनका नाम सूची में त्रुटिवश सम्मिलित कर लिया गया है, जिसके संदर्भ में अवगत कराना है कि कार्यालय स्तर से उक्त अभिकथन के परीक्षणोपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया कि पदावनति सम्बन्धी आदेश निर्गत होने से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हो चुके कार्मिकों की पदावनति नहीं की गयी थी। इनको अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में जो भी स्थान दिया गया था वह इनकी पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची, जो कि का0ज्ञा0सं0: 389/मा०सं०–03/उनिलि/2006, दिनांक 16.02.2006 द्वारा घोषित की गयी थी, के अनुसार दिया गया था। चूंकि का0ज्ञा0सं0: 3085–मा०सं०–03/उनिलि/2015 दिनांक: 05.10.2015 द्वारा निर्गत पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में क्रम संख्या 384 से 441 तक उल्लिखित कार्मिकों के नाम विलोपित किये जा चुके हैं, जिसमें इन 07 लोगों के नाम भी सम्मिलित हैं, जिसके दृष्टिगत चयन वर्ष 2009–10 के सहायक अभियन्ताओं हेतु प्रस्तावित ज्येष्ठता सूची में से क्रमांक: 01, 03, 05, 07, 09, 11 व 13 पर क्रमशः उल्लिखित सर्वश्री शिव पूजन, गोपाल दास, राम मूरत, रमेश चन्द्र, ओम प्रकाश, धर्मवीर सिंह तथा देवी दीन के नाम ज्येष्ठता सूची से विलोपित करते हुए इनसे कनिष्ठ प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं का नाम इनके स्थान पर रखते हुए चक्रानुक्रम को पुनर्निर्धारित किया जाना समीचीन पाया गया।

अग्रेतर अवगत कराना है कि निगम के का0ज्ञा0सं0: 1488–मा0सं0–01/विउनिलि/2026 दिनांक 15.05.2026 द्वारा सहायक अभियन्ता संवर्ग की अग्रेतर जारी की जाने वाली ज्येष्ठता सूचियों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से आये सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि के चयन वर्ष में ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की जा चुकी है तथा प्रस्तुत प्रकरण चयन वर्ष 2009–10 के सहायक अभियन्ताओं की घोषित की गयी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध आमंत्रित की गयी आपत्तियों से सम्बन्धित है, जबकि प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा ज्येष्ठता नियमावली के प्राविधानों के संशोधन आदि के संदर्भ में आपत्ति की जा रही है, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है तथा उस पर पृथक से टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपत्तिकर्ताओं द्वारा किये गये अभिकथनों में मात्र अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में से क्रमांक: 01, 03, 05, 07, 09, 11 व 13 पर क्रमशः उल्लिखित सर्वश्री शिव पूजन, गोपाल दास, राम मूरत, रमेश चन्द्र, ओम प्रकाश, धर्मवीर सिंह तथा देवी दीन के नाम ज्येष्ठता सूची से विलोपित करते हुए, इनसे कनिष्ठ प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं का नाम इनके स्थान पर रखते हुए चक्रानुक्रम को पुनर्निर्धारित किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिकथन स्वीकार्य योग्य नहीं पाये गये।

(III) क्रमांक 20 से 32 तक ने निगम के निम्न कार्यालय ज्ञापों का संदर्भ देते हुए निम्नवत अभिकथन किया है :–

(1) निगम का कार्यालय ज्ञाप : 1488–मा0सं0–01/विउनिलि/2026– 13–मा0सं0–01/2011 (टीसी–2) दि. 15.05.2026
(2) कार्यालय ज्ञाप–4553–मा०स०–01/विउनिलि/2021–12–मा0सं0–01/2011 (टीसी–2) दि. 29.11.2021
(3) मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील सं–5646–5647 का 2021 में निर्णय दि:–11.07.2023

कार्यालय ज्ञाप–2065–मा०स०–01/विउनिलि/2026–20–मा0सं0– 01/2005 (टीसी) दि. 24.06.2026 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के संदर्भ में अवगत कराया है कि निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0–1488–मा०सं०–01/विउनिलि/2026–13–मा०सं०–01/2011 (टीसी–2) दिनांक 15.05.2026 द्वारा माननीय उच्चतम् न्यायलय के आदेश दिनांक 29.11.2021 का हवाला देते हुए नियुक्ति आदेश जारी

क्रमश : 9/–

करने की तिथि के चयन वर्ष में ज्येष्ठता निर्धारण हेतु निर्णय किया गया है। राज्य विद्युत परिषद ज्येष्ठता नियमावली–1998 (यथासंशोधित) के प्रविधानों के अन्तर्गत उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम में ज्येष्ठता निर्धारण की व्यवस्था निम्नवत् है :–

1. निगम में सहायक अभियन्ता की ज्येष्ठता उ०प्र० विद्युत अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970 तथा सपठित उ०प्र० राज्य विद्युत सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1998 से विनियमित होती है। उक्त विनियमावली के अन्तर्गत ज्येष्ठता अवधारणा का मूल सिद्धांत सेवा के संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता की देयता का है। अग्रेतर निगम में उच्च तकनीकी आधारित सुपर क्रिटिकल मशीनों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु प्रशिक्षण अभियन्ता/अवर अभियन्ताओं की आवश्यकता के दृष्टिगत निगम के कार्यालय जाप सं0: 08/UNL/Ref-/Regulation/2010-seniority दिनांक 07.10.2010 द्वारा अभियन्ता ज्येष्ठता नियमावली में परिवर्तन किया गया तथा प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों को ज्येष्ठता निर्धारण हेतु जोड़ें जाने की व्यवस्था दी गई। स्पष्ट है कि यह परिवर्तन निगम हित में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) एवं अन्य संवर्गों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाए जाने तथा प्रशिक्षण को गम्भीरता से लागू करने के लिए किया गया। ज्येष्ठता की नई व्यवस्था वर्ष 2010 से लागू की गई।

2. उत्पादन निगम लि० में समय–समय पर प्रबन्धन एवं उच्च स्तरीय समिति द्वारा सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) की वरिष्ठता के संबंध में विस्तृत परीक्षण कर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि "अभियन्ता संवर्ग में नियुक्ति का पद सहायक अभियन्ता होता है न कि सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु)। इसी सिद्धान्त के अनुसार ज्येष्ठता अवधारण का मूल सिद्धान्त सेवा संवर्ग में मौलिक नियुक्ति से यानि प्रशिक्षणोपरान्त संविलियन परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात नियमितीकरण की तिथि से उचित पाया गया। अग्रेतर उत्पादन निगम लि० ने सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध परीक्षणोपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0–4553–मा०स०–01/विउनिलि/2021–13–मा0सं0–01/2011 (टीसी–2) दि.29.11.2021 में प्रकरण की विस्तृत विवेचना करते हुए यह निष्कर्ष प्राप्त किया गया कि, "सीधी भर्ती से नियुक्ति सहायक अभियन्ता की नियमितीकरण की तिथि के चयन वर्ष को उनके वरिष्ठता के निर्धारण का चयन वर्ष किया जाना नियमानुकूल है।" तदानुसार ही सहायक अभिन्ताओं की वरिष्ठता का निर्धारण किया गया। इसी प्रकार निगम में जूनियर इंजीनियर (प्रशिक्षु) की ज्येष्ठता उनकी प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर एवं संवीलियन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के उपरान्त जूनियर इंजीनियर (सामान्य श्रेणी) पर नियुक्ति की तिथि से की जाती रही है।

3. इस प्रकार वर्ष 2021 में चयन वर्ष 2008–09 में नियुक्त सहायक अभियन्ता (वि० एवं या०) की वरिष्ठता घोषित हुई एवं सहायक अभियन्ता (वि०एवं या०) का अधिशासी अभियन्ता पर प्रोन्नति की गयी। परन्तु विभागीय लापरवाही से सहायक अभियन्ता की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति कर दी गई थी। उक्त नियम विरुद्ध कार्यवाही पर की गई आपत्ति के पश्चात सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं को पुनः सहायक अभियन्ता पद पर पदावनत कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि उत्पादन निगम में लागू ज्येष्ठता संबंधी नियमों को लेकर पूर्व में कई बार न्यायालय में चुनौती दी गई परन्तु माननीय न्यायालय ने इस संबंध में कोई भी प्रतिगामी आदेश पारित नहीं किया।

4. मशीनों के सुरक्षित/दक्षतापूर्ण परिचालन हेतु सहायक अभियन्ताओं की आवश्यकता के दृष्टिगत तत्कालीन निगम प्रबन्ध के आदेशों के अनुक्रम में सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु चयन वर्ष 2008–09 में 2001 बैच के अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति हेतु निर्धारित पात्रता अवधि में शिथिलता प्रदान कर दी गई परन्तु भेदभाव करते हुए प्रोन्नतियां चयन के 2009–10 में की गई। यानि जानबूझकर प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को एक चयन वर्ष पीछे कर दिया गया।

5. सूच्य है कि वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के माध्यम से निगम में सहायक अभियन्ता (ईएण्डएम) के पद पर नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता 2022 तक घोषित नहीं की गई जबकि एक ही सेवानियमावली/ज्येष्ठता नियमावली से निगम में सीधी भर्ती/प्रोन्नति से वर्ष 2009 एवं 2011 में नियुक्त सहायक अभियन्ता (जानपद) की अन्तिम वरिष्ठता 2021 एवं बाद के वर्षों में घोषित कर निगम में तत्कालीन विद्यमान नियमानुसार अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति भी कर दी गई।

उपरोक्त से अवगत कराते हुए इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने वर्ष 2009 में प्रोन्नति हुए सहायक अभियन्ताओं को 2008 से नोशनल प्रोन्नति मानते हुए चयन वर्ष 2008–09 में वरिष्ठता निर्धारित करने एवं का0ज्ञा0–2065–मा०स०–01/विउनिलि/2026–20–मा०सं०–01/2005 (टीसी) दि0 24.06.2026 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

Rewan

क्रमशः 10/–

निस्तारण आख्या :–

अवगत कराना है कि का0ज्ञा0सं0: 08-UNL/Reform/Regulation/2010/Seniority दिनांक: 07.01.2010 द्वारा वरिष्ठता नियमावली निर्गत की गयी थी जिसमें प्रशिक्षण के महत्व को देखते हुए चयन एवं प्रशिक्षण के अंकों को क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में स्केलिंग कर वरिष्ठता निर्धारित किये जाने का प्राविधान किया गया था। उक्त नियमावली को दिनांक 01.03.2008 से प्रभावी माना गया था।

निगम के आदेश सं0: 3590–मा0सं0–01/विउनिलि/2021 दिनांक: 12.10.2021 द्वारा पूर्व में ही यह आदेशित किया जा चुका है कि दिनांक: 01.03.2008 से 06.01.2010 के मध्य संगत चयन वर्षों में सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) की वरिष्ठता का निर्धारण का0ज्ञा0सं0: 08-UNL/ Reform/Regulation/2010/Seniority दिनांक: 07.01.2010 के स्थान पर निगम में पूर्व में लागू उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1998 के आधार पर, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में निवेशित याचिका सं0: 27604/2016 तथा 28494/2016 के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन किया जायेगा।

अग्रेतर अवगत कराना है कि पूर्व में सीधी भर्ती से निगमीय सेवा में आए सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) द्वारा एक वर्ष का प्रशिक्षण एवं संविलीनिकरण परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त नियमित सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि को मौलिक नियुक्ति तिथि मानते हुए तथा प्रोन्नति के माध्यम से निगमीय सेवा में आए सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता चक्रानुक्रम में सज्जित करते हुए सम्बन्धित चयन वर्ष में ज्येष्ठता निर्धारित की जाती थी, परन्तु निगम के का0ज्ञा0सं0: 1488–मा0सं0–01/विउनिलि/2026 दिनांक 15.05.2026 के लागू होने के उपरान्त सहायक अभियन्ता संवर्ग की अग्रेतर जारी की जाने वाली ज्येष्ठता सूचियों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से आये सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि के चयन वर्ष में ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि प्रस्तुत प्रकरण चयन वर्ष 2009–10 के सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) पदधारकों की ज्येष्ठता निर्धारण से सम्बन्धित है ना कि पूर्व में की जा चुकी प्रोन्नति को भूतलक्षीय प्रभाव से नोशनल प्रोन्नति में परिवर्तित करने व ना ही सहायक अभियन्ता (जानपद) अथवा अवर अभियन्ता संवर्ग की ज्येष्ठता निर्धारण करने से। उक्त अभिकथन की कोई प्रासंगिकता न होने के दृष्टिगत इस पर पृथक से टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है।

चूंकि प्रत्यावेदनकर्ताओं की प्रोन्नति चयन वर्ष 2009–10 में अवर अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) से सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) पद पर हुई थी जिसके दृष्टिगत इन लोगों को चयन वर्ष 2009–10 में ही ज्येष्ठता प्रदान की जा सकती है तथा का0ज्ञा0सं0: 2065–मा०स०–01/विउनिलि/2026 दिनांक 24.06.2026 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में इनकी निर्धारित की गयी ज्येष्ठता नियुमानुकूल है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपत्तिकर्ताओं का अभिकथन स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

(IV) कमांक 33 ने अभिकथन किया है कि :–

(1) निगम के कार्यालय ज्ञाप 1488 दिनांक 15 मई 2026 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 5646–5647–2021 के संबंध में दिनांक 11 जुलाई 2023 को दिए गए निर्णय के आलोक में सहायक अभियंता (वि० एवं यां०) के ज्येष्ठता निर्धारण की उत्पादन निगम में पूर्व प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था प्रतिपादित की गई। उक्त नई व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्ति की तिथि के चयन वर्ष को ज्येष्ठता निर्धारण का आधार माना गया तथा यह भी कहा गया कि पूर्व में अंतिम रूप से घोषित की जा चुकी ज्येष्ठता सूचियाँ यथावत रहेंगी तथा उनका पुनर्रुद्धाटन नहीं किया जाएगा। उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से सहायक अभियंता संवर्ग की अग्रेत्तर जारी की जाने वाली ज्येष्ठता सूचियां हेतु प्रभावी होगी।

(2) निगम के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप में सहायक अभियंताओं की दिनांक 29 नवंबर 2021 को अंतिम रूप से घोषित ज्येष्ठता सूची में संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसी क्रम में बिना अनंतिम सूची प्रकाशित किए तथा उन पर आपत्तियां प्राप्त किए सीधे दिनांक 29 नवंबर 2021 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची को संशोधित कर दिया गया। स्पष्ट है कि उक्त प्रक्रिया में अनंतिम ज्येष्ठता सूची न निकाले जाने से नियम विरुद्ध तरीके से अन्य 2 प्रभावित सहायक अभियंताओं को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के अवसर से वंचित कर दिया गया, जोकि अन्यायपूर्ण प्रभावित अभियन्ताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना अति आवश्यक है।

Pawan

क्रमश : 11/–

(3) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में चयन वर्ष 2008–09 एवं चयन वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान किए जाने का लाभ दिया गया। परंतु वर्ष 2009 में प्रोन्नति कोटे की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता भेदभाव पूर्ण तरीके से निम्नतर कर दी गई। वर्ष 2007 एवं अग्रेतर वर्षों में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति कोटे के सहायक अभियंताओं की रिक्तियों एवं उनके सापेक्ष भर्ती/प्रोन्नति की स्थिति निम्नवत है :–

दिनांक 01/07/2007 से चयन वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में रिक्तियां एवं नियुक्ति/प्रोन्नति विवरण

(i) चयन वर्ष 2007–08

क्र0 सं0	सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती के स्त्रोत	रिक्तियां	नियुक्ति/ प्रोन्नति	टिप्पणी
(i)	सीधी भर्ती	234	253	
(ii)	(क) प्रोन्नति कोटा–40%	160	21	(अनु0जाति/जनजाति) बैगलॉग के अन्तर्गत प्रोन्नति, जिनकों बाद के वर्षों में पदावनत कर दिया गया।
	(ख) प्रोन्नति कोटा–8.33%	25	10	

(ii) चयन वर्ष 2008–09

क्र0 सं0	सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती के स्त्रोत	रिक्तियां	नियुक्ति/ प्रोन्नति	टिप्पणी
(i)	सीधी भर्ती	150	प्रक्रियाधीन	
(ii)	(क) प्रोन्नति कोटा–40%	160 लगभग	शून्य	प्रोन्नति प्रक्रियाधीन अर्हकारी सेवा में शिथिलता प्रदान की गयी।
	(ख) प्रोन्नति कोटा–8.33%	15 लगभग		

(iii) चयन वर्ष 2009–10

क्र0 सं0	सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती के स्त्रोत	रिक्तियां	नियुक्ति/ प्रोन्नति	टिप्पणी
(i)	सीधी भर्ती	–	150	
(ii)	(क) प्रोन्नति कोटा–40%	160 लगभग	122	29 कार्मिक बैगलॉग के अन्तर्गत (अनु0जाति/जनजाति) जिनकों बाद के वर्षों में पदावनत कर दिया गया।
	(ख) प्रोन्नति कोटा–8.33%	15 लगभग	01	

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि चयन वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं वर्ष 2009–2010 में सहायक अभियन्ता (ई. एण्ड एम.) सीधी भर्ती से समय–समय पर नियुक्त होते रहे परन्तु सहायक अभिन्ता (ई. एण्ड एम.) में प्रोन्नति कोटे में रिक्त पदों के सापेक्ष वर्ष 2007–2008, 2008–2009 में नियुक्तियां/प्रोन्नतियां नगण्य रही। इस प्रकार प्रोन्नति कोटे से नियुक्त सहायक अभियंताओं की रिक्तियां बैकलॉग की है और निदेशक मण्डल द्वारा प्रोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में आवश्यक शिथिलता भी चयन वर्ष 2008–09 में दी जा चुकी थी। अतः उनकी नोशनल प्रोन्नति चयन वर्ष 2008–09 में मानते हुए तदनुसार ज्येष्ठता चयन वर्ष 2008–09 में निर्धारित की जाए अथवा चयन वर्ष 2009–2010 में शीर्ष पर सज्जित कर विसंगति को समाप्त किया जाना उचित होगा।

क्रमश : 12/–

(4) यह भी अवगत कराया जाना समीचीन होगा कि एक ही सेवा नियमावली से आच्छादित सहायक अभियंता (वि०एवंयां०) की ज्येष्ठता यदि वर्ष 2021 में सहायक अभियंता (जानपद) के साथ ही निर्धारित कर दी जाती है तब सभी प्रोन्नत अभियंताओ की अधिशासी अभियंता के पद पर प्रोन्नति हो जाती और यह प्रकरण नियमसंगत/न्यायसंगत तरीके से निक्षेपित हो जाता। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर प्रोन्नत अभियंताओं की ज्येष्ठता निर्धारण में विलंब किया गया।

(5) अग्रेतर निगम में लागू ज्येष्ठता नियमावाली–1998 अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर संवर्ग पर सामान्य रूप से लागू है, फिर भी वर्ष 2008 में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियंताओं की ज्येष्ठता नियुक्त की तिथि के चयन वर्ष में निर्धारित किया जाना तथा इसी वर्ष सीधी भर्ती से आए अवर अभियंताओं की ज्येष्ठता प्रशिक्षण के उपरांत यानि एक वर्ष बाद के चयन वर्ष में निर्धारित किया जाना भेदभावपूर्ण एवं आपत्तिजनक है, जिसका संगठन पुरजोर विरोध करता है।

(6) संज्ञान में लाना समीचीन होगा कि निदेशक मण्डल के अनुमोदन से निर्गत कार्यालय ज्ञाप 1488–मा0सं0/विउनिलि/2026–13–मा. सं.–01/2011 (टीसी–2) दिनांक 15 मई 2026 में प्राविधानित है कि नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि के चयन वर्ष में वरिष्ठता प्रदान की जाए। 2009 बैच सीधी भर्ती के 150 सहायक अभियन्ताओं (ई. एण्ड एम.) को नियुक्ति पत्र जारी किये गये थे परन्तु उपरोक्त अनंतिम ज्येष्ठता सूची में उन सभी सहायक अभियन्ताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है, जो एक गम्भीर विसंगति है। उक्त विसंगति को दूर करते हुए सीधी भर्ती 2009 बैच के सभी 150 सहायक अभियन्ताओं के नाम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया जाए।

(7) सूच्य है कि सामान्यतः सेवा संबंधी नए नियम आगामी सेवा में आने वाले कार्मिकों पर लागू होते हैं, वर्तमान में सेवारत कार्मिकों पर लागू नहीं। ऐसी ही मंशा निदेशक मण्डल ने अपने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15/05/2026 में व्यक्त की है। फिर भी यदि पूर्व के प्रकरणों को पुनः विचारित किया जा रहा है तब केवल वर्ष 2021 में घोषित सहायक अभिन्ता (वि० एवं यां०) ज्येष्ठता सूची को ही नहीं वरन् समग्रता में वर्ष 2005 से सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता की घोषित सभी ज्येष्ठता सूचियां संशोधित किया जाए, जिससे सीधी भर्ती/प्रोन्नत अभियंताओं के मध्य नियमानुसार समानता बनी रही।

(8) माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को पारित आदेश सशर्त (Conditional) है, जिसमें यह कहा गया है कि Clear Substantive Vacancy के विरुद्ध सीधी भर्ती से नियुक्ति कार्मिकों की ज्येष्ठता कैडर में प्रथम नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जायेगी।

विभाग में लागू अभियन्ता सेवा नियमावली 1970 के अनुसार सीधी भर्ती के अभियन्ता की नियुक्ति सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर होती है तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की जाती है। उक्त नियमावली में इसके स्पष्ट प्राविधान है। अतः ज्येष्ठता के संबंध में उत्पादन निगम में पूर्व प्रचिलित व्यवस्था में किया गया संशोधन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की सही संदर्भ में व्याख्या नहीं है।

(9) यह भी अवगत कराना है कि उनिलि में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के नियुक्ति पत्र में उन्हे सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत एवं यांत्रिकी) के रूप में प्रशिक्षणार्थ तैनात किये जाने, प्रशिक्षण अवधि 12 माह के पश्चात् प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर निगम उन्हे सहायक अभियन्ता के पद पर नियमित संवर्ग में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता पर विचार करेगा तथा प्रशिक्षण से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की दशा में प्रशिक्षण अवधि बढ़ाई जा सकती है जिससे ज्येष्ठता में ह्रास होगा आदि तथ्य/शर्ते अंकित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि निगम में सहायक अभियन्ता के पद पर मौलिक नियुक्ति की गणना सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त होती है।

उपरोक्त से अवगत कराते हुए संघ द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सहायक अभियंता (वि०एवंयां०) की ज्येष्ठता निर्धारण हेतु दिनांक 24 जून 2026 को जारी अनंतिम ज्येष्ठता सूची में व्याप्त गंभीर विसंगतियों को समाप्त किए जाने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये जायें जिससे बार–बार भेदभाव का शिकार हो रहे प्रोन्नत अभियंताओं को नियमानुसार न्याय प्राप्त हो सके।

क्रमश : 13/–

निस्तारण आख्या :–

उपरोक्त क्रमांक 02 से 19 तथा 20 से 32 पर उल्लिखित निस्तारण आख्या अनुसार अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। उक्त के अतिरिक्त संघ द्वारा किये गये अभिकथन कि 2009 बैच सीधी भर्ती के 150 सहायक अभियन्ताओं (ई. एण्ड एम.) को नियुक्ति पत्र जारी किये गये थे परन्तु अनंतिम ज्येष्ठता सूची में उन सभी सहायक अभियन्ताओं को सम्मिलित नहीं किया गया है, के संदर्भ में अवगत कराना है कि निर्गत की गई अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सीधी भर्ती के मात्र उन ही कार्मिकों को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने चयन वर्ष 2009–10 में निगमीय सेवा में कार्यभार ग्रहण किया था। अग्रेतर उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 2008 बैच के सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) का ज्येष्ठता निर्धारण भी इसी प्रकार किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपत्तिकर्ताओं के अभिकथन स्वीकार्य योग्य नहीं पाये गये।

(V) क्रमांक 34 से 41 तक ने अभिकथन किया है कि :–

1. यह कि कार्यालय ज्ञाप सं0: 1488–मा०सं०–01/विउनिलि/2026–13–मा०सं०–01/2011 (टीसी–2) दिनांक 15 मई, 2026 द्वारा तद्दिनांक से "नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि के चयन वर्ष में एवं तद्दिनांक से पूर्व में "अंतिम रूप से घोषित ज्येष्ठता सूचियां यथावत रहेंगी" का निर्णय करते हुये, ज्येष्ठता निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियामावली–1998 (यथासंशोधित) के प्राविधानों को स्वीकार किया गया है। उक्त नियमावली के भाग–2. ज्येष्ठता का आधारण, प्रस्तर सं०–8 (3) बिन्दु सं०–दो (पृष्ठ सं–5) में वर्णित है कि "प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ किसी श्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हो, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाएं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेगें किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेगें जिसमें उनकी नियुक्यिाँ की जायें, किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखें जायेगें, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चकानुक्रम में रखें जायेगें।"

2. यह कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, याचिका सं० 8508/2020 में दिनांक 08 फरवरी, 2021 समय सायं 06 : 00 बजे Superintending Engineer, Shri T-K Jain, Aged about 57 years son of Sri S.C. Jain, presently posted as Superintending Engineer (HR-01) UPRVUNL Shakti Bhawan Lukhnow, Jain by Religion, Nationality Indian, Occupation-Service द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियामावली–1998 (यथासंशोधित) प्रस्तुत करते हुये विभागीय काउंटर एफिडेविट मय शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णित है कि 2009 सीधी भर्ती बैच की नियुक्ति पूर्ववर्ती वर्ष में न भरी गई रिक्तियों के सापेक्ष अनुवर्ती वर्ष में की गयीं। On Page 10, it's Mentioned that "Further in the selection year 2008-09, 270 post of Assistant Engineer (Training were advertised and after selection an appointment letter were issued to 253 candidates out of which only 148 Assistant Engineer (Trainee) had joined.

3. यह कि 2009 सीधी भर्ती बैच से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत श्री विवेक कुमार, सहायक अभियन्ता पता– 1 एई–27, ओबरा तापीय परिसर, ओबरा द्वारा मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में जन सूचना अधिकारी (कारपोरेट) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के पत्र सं० 2136–मा०सं०–01/वि०उ०नि०लि०/2020–12(18)मा०सं०–01/2020 दिनांक 11 अगस्त 2020 की पृच्छा सं०–02 में सूचना दी गयी है कि–"उक्त विज्ञापित पदों के क्रम में पुनः 150 सहायक अभियन्ता (ई०एण्ड०एम) का विज्ञापन वर्ष 2008 में विज्ञापित किया गया था, जिसके सापेक्ष 150 अभियर्थियों का चयन हुआ जिसमें 110 अभियर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया। विज्ञापन उ०प्र०रा०वि०उ० सेवा आयोग द्वारा निर्गत किया गया था। उक्त सूचना उत्पादन सेवा आयोग से प्राप्त किया जाना उचित होगा।"

4. यह कि कार्यालय ज्ञाप सं०: 2065–मा०सं०–01/विउनिलि/2026–20–गा०सं०–01/2005 (टीसी) दिनांक 24 जून 2026 द्वारा सहायक अभियन्ता–2009 प्रोन्नत बैच एवं 2009 सीधी भर्ती बैच की ज्येष्ठता 1 : 1 के अनुपात में निर्धारित की गयी है जो कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ज्येष्ठता निर्धारण हेतु प्रस्तुत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियामावली–1998 (यथासंशोधित) के प्राविधानों "प्रस्तर सं०–8 (3) बिन्दु सं०–दो एवं सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना के विपरीत है।

क्रमशः 14/–

5. यह कि "नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त (PRINCIPLE OF NATURAL JUSTICE)" के अनुसार, समान पद पर निम्न ग्रेड पे वाला व्यक्ति उच्च ग्रेड पे वाले व्यक्ति से ज्येष्ठ नहीं होना चाहिए। तत्क्रम में सादर अवगत कराना है कि उक्त सिद्धान्त के विपरीत, कार्यालय ज्ञाप सं0 : 2065–मा0सं0–01/विउनिलि/2026–20– मा0सं0–01/2005 (टीसी) दिनांक–24 जून, 2026 द्वारा निर्गत सूची में प्रार्थी के ज्येष्ठता क्रमांक–168 से ऊपर उससे निम्न ग्रेड पे वाले कुल 84 सहायक अभियन्ताओं (सभी 2009 प्रोन्नत बैच एवं सूची में विषम क्रमांक पर यथा–1,3,5,7.....167, तक अंकित) को ज्येष्ठता प्रदान की गयी है।

6. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियामावली– 1998 के क्रमांक 5 के अनुसार सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता चयन सूची/मेरिट क्रम के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए किन्तु वर्ष 2009 के सीधी भर्ती अभियन्ताओं की चयन सूचीं/मेरिट क्रम उपलब्ध नही करायी गयी है जिस कारण से अस्थायी वरिष्ठता सूची में प्रदर्शित प्रार्थी की वरिष्ठता स्थिति का सत्यापन संभव नही है। अतः 2009 के सीधी भर्ती अभियन्ताओं की चयन सूची/मेरिट क्रम निर्गत की जाये ।

7. प्रोन्नत 2009 बैच को पूर्ववर्ती वर्षों में प्रमोशन हेतु शिथिलता प्रदत्त की जा चुकी है। अतः प्रोन्नत 2009 बैच को पुनः लाभ नहीं दिया जाना चाहिए ।

उक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए इन प्रत्यावेदनकर्ताओं ने 2009 सीधी भर्ती बैच की ज्येष्ठता शीर्ष पर निर्धारित कर, पुनः ज्येष्ठता सूची निर्गत करने का अनुरोध किया है।

<u>निस्तारण आख्या</u> :–

अवगत कराना है कि वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती के माध्यम से आये सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका सं0: 8508/2020 मनीष कुमार मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 व अन्य भी योजित की गयी है, जिसमें याचिकाकर्ताओं की मुख्य मॉग यह है कि पावर कारपोरेशन लि0 की भॉति नियुक्ति पत्र निर्गमन की तिथि से सेवा आयोग की मेरिट सूची अनुसार उत्पादन निगम लि0 में भी ज्येष्ठता सूची निर्गत की जाये तथा इनके बैच को 2008 बैच की भर्ती के सापेक्ष रिक्त रह गये पदों के विरुद्ध ही मानते हुए इन्हें चयन वर्ष 2009–10 हेतु निर्धारित की जाने वाली ज्येष्ठता सूची में प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं से इनके बैच को En-Bloc रिक्तियाँ मानते हुए ऊपर रखा जाये। यह भी उल्लेखनीय है कि याचिका सं0: 8508/2020 मनीष कुमार मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 व अन्य में विभाग की ओर से शपथ–पत्र दाखिल किया गया है तथा जिस प्रकार प्रत्यावेदनकर्ता अभिकथन कर रहे हैं उसमें कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि 2009 सीधी भर्ती बैच की नियुक्ति पूर्ववर्ती वर्ष में न भरी गई रिक्तियों के सापेक्ष अनुवर्ती वर्ष में की गयी हैं। उक्त याचिका सम्प्रति न्यायाधीन है तथा का0ज्ञा0सं0: 2065–मा0सं0–01/विउनिलि/2026 दिनांक 24 जून 2026 द्वारा घोषित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उक्त याचिका के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन ही निर्गत की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि का0ज्ञा0सं0: 2425–मा0सं0–01/विउनिलि/2009 दिनांक: 06.08.2009, सं0: 3382–मा0सं0–01/विउनिलि/2009 दिनांक: 28.10.2009 तथा सं0: 666–मा0सं0–01/विउनिलि/2010 दिनांक: 11.03.2010 द्वारा अवर अभियन्ता पद से सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) पद पर की गयी प्रोन्नति चयन वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत थी जिसके दृष्टिगत इन प्रोन्नत कार्मिकों को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियामावली–1998 के प्राविधानान्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के साथ 1:1 के अनुपात में चकानुक्रम निर्धारित करते हुए का0ज्ञा0सं0: 2065–मा0स0–01/विउनिलि/2026 दिनांक 24.06.2026 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में इनकी ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है, जो कि पूर्णतः नियुमानुकूल है।

जैसाकि प्रत्यावेदनकर्ताओं ने "नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त (PRINCIPLE OF NATURAL JUSTICE)" के अनुसार, समान पद पर निम्न ग्रेड पे वाला व्यक्ति उच्च ग्रेड पे वाले व्यक्ति से ज्येष्ठ नहीं होना चाहिए सम्बन्धी अभिकथन किया है, के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रस्तुत प्रकरण ज्येष्ठता निर्धारण का है ना कि वेतन विसंगति का और प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा इस निमित्त कोई प्रमाण आदि भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिसके दृष्टिगत उक्त अभिकथन की कोई प्रासंगिकता न होने के कारण इस पर पृथक से टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है।

क्रमशः 15/–

Paaway

अग्रेतर का0ज्ञा0सं0: 2065–मा०स०–01/विउनिलि/2026 दिनांक 24.06.2026 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सीधी भर्ती के माध्यम से निगमीय सेवा में आये सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता का निर्धारण सेवा आयोग से प्राप्त मेरिट सूची के अनुसार ही किया गया है तथा निर्गत की जाने वाली ज्येष्ठता सूची के साथ मेरिट सूची आदि निर्गत किये जाने की बाध्यता नहीं है व इससे पूर्व भी निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूचियों के साथ मेरिट सूची निर्गत नहीं की गयी हैं।

अग्रेतर उल्लेखनीय है कि चयन वर्ष 2009–10 में अवर अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) से सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) पद पर प्रोन्नत हुए अभियन्ताओं को उनके प्रोन्नति के ही चयन वर्ष 2009–10 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1998 के प्राविधानानुसार ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है ना कि उन्हें कोई शिथिलता आदि प्रदान की जा रही है और ना ही उनको पृथक से कोई लाभ प्रदान किया जा रहा है। का0ज्ञा0सं0: 2065–मा०स०–01/विउनिलि/2026 दिनांक: 24.06.2026 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में इनकी निर्धारित की गयी ज्येष्ठता नियुमानुकूल है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपत्तिकर्ताओं का अभिकथन स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

(VI) <u>कमांक 42 ने अभिकथन किया है कि :–</u>

(1) कार्यालय ज्ञापन संख्या 2065/मा०सं०–01/विउनिलि/2026–20–मा०सं०–01/2025/टीसी दिनांक 24.06.26 द्वारा जारी 2009–10 में नियुक्त सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता सूची में इनका वरिष्ठता स्थान क्रमांक 64 पर है।

(2) विद्युत सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 4/VSA/2006 द्वारा उ प्र राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड में ई एंड एम् संवर्ग के लगभग 270 सहायक अभियन्ताओं के पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था, जिनमें लगभग 148 अभ्यर्थियों ने चयन वर्ष 2008–09 में कार्यभार ग्रहण किया।

(3) उक्त विज्ञापित पदों के क्रम में पुनः ई एंड एम् संवर्ग 150 सहायक अभियन्ताओं के लिए विद्युत सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निर्गत हुआ था के जिसके सापेक्ष 110 अभ्यर्थियों ने चयन वर्ष 2009–10 में कार्यभार ग्रहण किया गया था।

(RTI का उत्तर 2136/मा०सं०–01/विउनिलि/2020–12(18)–मा० स०–01/2020 दिनांक 11.08.2020)

इसी विज्ञापन के अंतर्गत इन्होंने चयन वर्ष 2009–10 में उ०प्र०वि०उ० निगम लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण किया था।

(4) माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज द्वारा वाद संख्या 8508/2020 में विभाग द्वारा दिये गये शपथपत्र में यह तथ्य आया था कि वर्ष 2008 में 270 रिक्त पदों के सापेक्ष 148 सहायक अभियन्ताओं ने ज्वाइन किया।

(5) बिंदु संख्या 2, 3 एवं 4 के आलोक में से यह स्वतः स्पष्ट है कि 2009–10 में सीधी भर्ती से नियुक्त सभी 110 सहायक अभियंता 2008–09 में न भरी जाने वाली रिक्तियों (122) के प्रति अनुवर्ती वर्ष में की गयी नियुक्तियों के सापेक्ष भर्ती हुए हैं।

(6) उ०प्र०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के अनुसार ज्येष्ठता की अवधारणा के निम्न प्रावधान हैं।

प्रस्तर 8 जहां किसी चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति तथा सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाती हैं

प्रस्तर 8(3) जहा किसी एक चयन वर्ष के परिणाम स्वरुप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाये वहां पदोन्नत व्यक्तियों की सीधी भर्ती से नियुक्त किये गए व्यक्तियों के संबंध में ज्येष्ठा जहाँ तक हो सके दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम (1 : 1) में अवधारित की जाएगी।

Paswan.

क्रमश : 16/–

प्रतिबन्ध ये है कि

प्रस्तर 8 (3) 2 जहा किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हो और ऐसे ना भरी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाएँ वहां इस प्रकार से नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्टता नहीं पाएंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पाएंगे जिसमे उनके नियुक्ति की जाये किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(7) बिंदु संख्या 2,3,4,5 एवं 6 के आलोक में चयन वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियंताओं को चयन वर्ष 2008–09 में सीधी भर्ती से न भरी जाने वाली रिक्तियों के प्रति अनुवर्ती वर्ष में की गयी नियुक्तियों के सापेक्ष भर्ती मानते हुए उन्हें 2009–10 में नियुक्त सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता सूची में शीर्ष स्थान दिये जाने का अनुरोध किया है।

उक्त के अतिरिक्त इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इनके विरुद्ध 17 मार्च से 19 मार्च 2023 में हुई हड़ताल में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में, जिसमे उत्पादन निगम के अधिकांश कर्मियों ने भी प्रतिभाग किया था, अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है उपरोक्त के सम्बन्ध में गठित जाँच समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी श्रीमान प्रबंध निदेशक के समक्ष 11.06.2024 को प्रस्तुत कर दी थी जिस पर लगभग दो साल बीतने के बाद भी अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। जबकि इन्होंने सक्षम अधिकारी द्वारा माँगा गया अभ्यावेदन भी निर्धारित समय पर 03.02.2026 तक प्रेषित कर दिया था जिस पर भी अभी तक निर्णय नहीं लिया गया जिसके कारण संभावित है कि सिनोरिटी लिस्ट में ऊपर होने पर भी इनकी 17 साल बाद होने वाली प्रथम संभावित प्रोन्नति विलम्बित जाँच निर्णय के कारण विलम्बित हो सकती है। अतः इन्होंने निवेदन किया है कि इनकि जाँच रिपोर्ट पर सहानुभूतिपूर्वक शीघ्र निर्णय लिया जाये जिससे इनकी 17 साल बाद होने वाली प्रथम प्रोन्नति की सम्भावना धूमिल न हो पाए।

निस्तारण आख्या :–

उपरोक्त क्रमांक 34 से 41 पर उल्लिखित निस्तारण आख्या अनुसार अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है। अग्रेतर प्रस्तुत ज्येष्ठता निर्धारण प्रकरण में आपत्तिकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित होने से सम्बन्धित अभिकथन की कोई प्रासंगिकता ना होने के कारण इस पर पृथक से टिप्पणी किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(VII) क्रमांक 43 से 45 तक ने अभिकथन किया है कि :–

1. इनका चयन सहायक अभियन्ता (ई.एण्ड.एम.) पद पर होने के उपरान्त निगम मुख्यालय के कार्यालय ज्ञापन सं0–2282/मा०सं०–01/वि०उ०नि०लि०/2009–19–मा०सं०–01/2008 दिनांक 25.07.2009 के माध्यम से नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया। उक्त नियुक्ति पत्र में वर्णित समस्त सेवा शर्तों को स्वीकार करते हुये इन्होंने दिनांक–28.09.2009 को पद का कार्यभार ग्रहण किया एवं तभी से निरन्तर निगम की सेवा में कार्यरत है।

2. यह कि नियुक्ति पत्र के संलग्नक में वर्णित बिन्दु सं०– (2) (XIII) के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची का निर्धारण स्पष्ट रूप से निर्धारित माप दण्डों एवं शर्तों के आधार पर किया जाना था। उक्त प्रावधान के अनुसार निगम में वरिष्ठता सूची का निर्धारण प्रतियोगात्मक परीक्षा (लिखित/ग्रुप डिस्कशन/साक्षात्कार) के कुल प्राप्तांकों तथा प्रोजेक्ट रिपोर्टों, प्रशिक्षण के दौरान बाह्य संस्थाओं की परीक्षाओं तथा समय–समय पर ली गई आन्तरिक परीक्षाओं के मूल अंकों (प्रथम प्रयास में प्राप्तांको) को जोड़कर किया जाना था। इस प्रकार वरिष्ठता सूची बनाने हेतु कुल अंको में 60 प्रतिशत अंक प्रतियोगात्मक परीक्षा तथा 40 प्रतिशत अंक प्रशिक्षण में प्राप्त मूल अंको के होने थे जो Normalization की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किये जाने थे। इस प्रकार अंको को सम्मिलित करते हुये अंतिम वरिष्ठता सूची निर्धारित की जानी थी।

3. यह कि निगम द्वारा दिनांक–24.06.2026 को जारी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में उपरोक्त निर्धारित प्रावधानों एवं नियुक्ति पत्र की सेवा शर्तों का पालन परिलक्षित नही होता है। अन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार करते समय नियुक्ति पत्र में निर्धारित 60:40 वेटेज तथा प्रशिक्षण के प्रथम प्रयास के मूल अंको को सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप अनन्तिम वरिष्ठता सूची नियुक्ति की शर्तों के विपरीत है तथा इससे इनके वैध अधिकार एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत (PRINCIPLE OF NATURAL JUSTICE) प्रभावित हुए हैं।

क्रमश : 17/–

Rawan

संज्ञानित होना चाहे कि वर्ष 2006 में विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं० 4/VSA/2006 द्वारा उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० में सहायक अभियन्ता (ई.एण्ड एम.) सवंर्ग के 270 पद विज्ञापित किये गये थे। उक्त 270 विज्ञापित पदों के सापेक्ष कुल 148 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात उक्त "न भरी गई रिक्तियों के विरूद्ध वर्ष 2008 में पुनः विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 02/UPRVUSA/2008 द्वारा उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० में सहायक अभियन्ता (ई.एण्ड सवंर्ग के पद विज्ञापित किये गये जिसके सापेक्ष ही इनकी भी नियुक्ति हुई थी। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की नियुक्ति, वर्ष 2006 में विज्ञापित पदों के सापेक्ष 'रिक्त रह गयी सीटों' के विरूद्ध अनुवती वर्ष 2008 में पुनः विज्ञापित पदों के सापेक्ष हुई है।

इसकी पुष्टि, श्री विवेक कुमार, सहायक अभियन्ता, ओबरा तापीय परियोजना को आर०टी०आई० के जवाब में निगम मुख्यालय के पत्रांक–2136–मा०सं०–01/विउनिलि–20–12(18)–मा०सं०–01/2020 दिनांक–11/08/2020 द्वारा भी की गयी है।

इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर Civil Misc Writ Petition No. 8508 of 2020 में निगम द्वारा दाखिल काउंटर एफिडेविड के पृष्ठ सं०–10 के पैरा 2,3,4 के अनुसार "Further as per proviso (iii) to regulation 8(3) of 1998 regulations, the seniority of the petitioner cannot be given between 2008-09 batch and 2009-10 batch as the selection year of the petitioners is 2010-11.

Further in the selection year 2008-09, 270 post of Assistant Engineer (Trainee) were advertised and after selection an appointment letters were issued to 253 candidates out of which only 148 assistant engineers (trainee) had joined but the benefit of the same cannot be given to the petitioners who got final appointment/absorption on 23.02.2011 w-e-f- 01.10.2010."

उक्त काउंटर एफिडेविड में निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को यह जानकारी दी है कि इनकी नियुक्ति, वर्ष 2006 में विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं० 4/VSA/2006 द्वारा उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० में सहायक अभियन्ता (ई.एण्ड एम.) सवंर्ग के विज्ञापित 270 पदों के सापेक्ष, न भरे गये/रिक्त रहे पदों के विरूद्ध अनुवर्ती वर्ष 2008 में पुनः विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–U-02/UPRVUSA/2008 द्वारा विज्ञापित पदों के विरूद्ध हुई है, किन्तु इन्हे उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध 2 का लाभ, चयन वर्ष 2009–10 नहीं दिया जा सकता क्योंकि निगम द्वारा परिभाषित चयन वर्ष 2010–2011 हो रहा है।

साथ ही संज्ञानित कराना है कि उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 में वर्णित नियमानुसार "जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाये, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नही पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमे उनकी नियुक्तियां की जाये, किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखें जायेंगे।"

चूंकि, चयन वर्ष 2009–10 के लिए निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अब प्रार्थी का चयन वर्ष 2009–10 तय किया गया है। जिससे इनको निगम द्वारा दाखिल काउंटर एफिडेविड के अनुसार उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 का लाभ, चयन वर्ष 2009–10 में दिया जाना चाहिए जो कि स्वाभाविक एवं न्यायसंगत होगा।

4. यह भी सूच्य है कि उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली– 1998 के अनुपालन में ही उ०प्र०पा०का०लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०: 4274–अ०प्र०–07/पाकालि/17–25–10प्र0–07/09 दिनांक: 28/09/2017 द्वारा निर्गत, चयन वर्ष 2011–2012 में सीधी भर्ती (उ०प्र०पा०का०लि० के विज्ञापन संख्या–1-VSA/2011 के सापेक्ष)/प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की अंतिम ज्येष्ठता सूची में भी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं (क्रम सं० 01 से 184 तक) के नाम, उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 का लाभ देते हुए शीर्ष पर रखें गये थे। उक्त निर्गत वरिष्ठता सूची के विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दाखिल वाद सं0–44512/2017, संतोष कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० एव अन्य तथा याचिका सं० : 36723/2017, संजय कुमार चतुर्वेदी व अन्य बनाम उ०प्र०राज्य एवं यू०पी०पी०सी०एल० के विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 के लाभ को सही ठहराया है।

क्रमश : 18/–

तत्पश्चात, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल वाद आई०ए० नं० 28294 (2022) सिविल अपील नं0–5646–5647/2021, मुजीर्बुरहमान एवं अन्य यू०पी०पी०सी०एल एण्ड अन्य, जिसमें उत्पादन निगम के सहायक अभियन्ता राकेश कुमार एवं आशीष शर्मा भी वादी थे, इसमें मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में भी मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश को पूर्णतः सही मानते हुए चयन वर्ष को सही तरीके से परिभाषित किया। उक्त के अन्तिम निर्णय में :–

(a) मा० सर्वोच्च न्यायालय ने मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सीधी भर्ती अभियन्ताओं के बैकलाग से रिक्त वर्ष से ज्येष्ठता के आदेश के नियम को सही ठहराया है।

"This Court is of the opinion that the conclusions recorded by the High court reflects the correct position of the Rules-"

(b) अग्रेतर ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः– "A person appointed against a clear substantive vacancy in the direct quota, under the existing rules, can legitimately claim to be born in the cadre from the date of his initial Appointment and not after the completion of training or probation-"

मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के पश्चात उक्त आदेश के लागू करने हेतु वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अध्यक्ष, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० को दिनांक 21.07.2023 को प्रेषित नोटिस में बिन्दु सं0–6 पर यह कहा गया कि "That, My client (Assistant Engineer- direct recruit 2009-10) en block higher than promotee in the seniority list of year 2009-10 in accordance with proviso (ii) of regulation 8(3) of 1998 regulation. As my clients are recruited against unfilled vacancy of 2008 batch."

किन्तु, चयन वर्ष 2009–10 के लिए निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची में इनको मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 का लाभ न देते हुए, चयन वर्ष 2009–2010 हेतु निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची में शीर्ष पर नही रखते हुए प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं के साथ 1 : 1 के अनुपात में चक्रानुक्रम में रखा गया है, जो कि उ०प्र०रा०वि०प०सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 के नियमों के विपरीत होने के साथ–साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल वाद आई०ए०नं० 28294(2022) सिविल अपील नं0–5646–5647/2021 में पारित आदेश की अवमानना भी है।

5. वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति दोनों के द्वारा नियुक्तियाँ की गयी थी। 40 प्रतिशत कोटे के तहत सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति करने हेतु BOD संख्या 135 के एजेण्डा संख्या–51 पर प्रोन्नति करने हेतु अर्हकारी सेवा में तीन वर्ष एवं 8.33 प्रतिशत कोटे के तहत सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति करने हेतु अर्हकारी सेवा में एक वर्ष की शिथिलता प्रदान की गयी थी। आपको यह भी अवगत कराना कि BOD संख्या–139 के एजेण्डा संख्या–04 के तहत यह भी BOD में पारित है कि अर्हकारी सेवा में शिथिलता दिए जाने पर इसका लाभ पुनः नहीं दिया जायेगा। परन्तु प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं के तीन साल पहले हुई प्रोन्नति के कारण उत्पन्न परिणामी जयेष्ठता का पुनः लाभ देते अनन्तिम वरिष्ठता सूची में 1:1 के अनुपात में चक्रानुक्रम मे रखा गया है जोकि निगम मुख्यालय के कार्यालय ज्ञापन सं०–1048/मा०सं०–02/वि०उ०नि०लि०/2012–50–मा०सं०–02/2007 दिनांक 17.05.2012 परिणामी ज्येष्ठता समाप्त करने के नियमसम्मत नही है। अतः प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को चयन वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती से नियुक्ति सहायक अभियन्ताओं के बाद स्थान दिया जाये।

अनन्तिम सूची, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल वाद आ ई०ए० नं0 28294 (2022) सिविल अपील नं०–5646–5647/2021 मुजीर्बुरहमान एवं अन्य यू०पी०पी०सी०एल एण्ड अन्य में पारित आदेश; मा० उच्चतम न्यायालय के वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा, अध्यक्ष, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० को दिनांक 21.07.2023 को प्रेषित नोटिस एवं उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 के नियमो के विरूद्ध होने के कारण नियमसम्मत और वैध नही है।

उक्त से अवगत कराते हुए प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा 2009 सीधी भर्ती बैच की ज्येष्ठता नियुक्ति पत्र के बिन्दु सं०–दो में वर्णित परिशिष्ट–2 के बिन्दु सं०–(2) (XIII) एवं शीर्ष पर निर्धारित कर, पुनः ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुये इनको नियम एवं न्याय संगत ज्येष्ठता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

क्रमशः 19/–

निस्तारण आख्या :–

उपरोक्त क्रमांक 34 से 41 पर उल्लिखित निस्तारण आख्या अनुसार अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि का0ज्ञा0सं0: 3590–मा0सं0–01/विउनिलि/2021 दिनांक 12.10.2021 द्वारा यह प्राविधानित है कि दिनांक 01.03.2008 से 06.01.2010 के मध्य नियुक्त सहायक अभियन्ता (वै० एवं यॉ०) की वरिष्ठता का निर्धारण का०ज्ञा०सं०: 08-UNL/Reform/Regulation/2010/Seniority दिनांक 07.10.2010 के स्थान पर पूर्व में लागू उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1998 द्वारा किया जायेगा।

चूंकि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1998 में कुल अंको में 60 प्रतिशत अंक प्रतियोगात्मक परीक्षा तथा 40 प्रतिशत अंक प्रशिक्षण का, लेते हुए Normalization के आधार पर ज्येष्ठता सूची बनाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है, जिसके दृष्टिगत प्रत्यावेदनकर्ताओं का अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अग्रेतर सूच्य है कि मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित CIVIL APPEAL NOS. 5646-5647 OF 2021 मुजिर्बुरहमान व अन्य बनाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (वाद में उ0नि0लि0 के सहायक अभियन्ता भी वादी थे) पर दिनांक 11.07.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये थे :–

This Court is of the opinion that the conclusions recorded by the High Court reflect the correct position of the Rules. A person appointed against a clear substantive vacancy in the direct recruit quota, under the existing Rules, can legitimately claim to be born in the cadre from the date of his initial appointment and not after completion of training or probation.
Therefore, we find no merits in these appeals which are accordingly dismissed.
Any observation to the contrary in the impugned judgement do not reflect the correct position.
All pending applications including intervention/ impleadment are disposed of.

उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रम में निगम के का0ज्ञा0सं0: 1488–मा0सं0–01/विउनिलि/2026 दिनांक 15.05.2026 द्वारा सहायक अभियन्ता संवर्ग की अग्रेतर जारी की जाने वाली ज्येष्ठता सूचियों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से आये सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि के चयन वर्ष में ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि का0ज्ञा0सं०–1048/मा०सं०–02/वि०उ०नि०लि०/2012 दिनांक 17.05.2012 प्रोन्नति में आरक्षण के अदेयता सम्बन्धी है तथा किये गये अभिकथन में उसकी प्रासंगिकता ना होने के कारण इस पर पृथक से टिप्पणी किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उक्त वस्तुस्थिति के आलोक में आपत्तिकर्ताओं का अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

(VIII) क्रमांक 46 से 48 तक ने अभिकथन किया है कि :–

1. वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति दोनों के द्वारा नियुक्तियाँ की गयी थी। 40 प्रतिशत कोटे के तहत सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति करने हेतु BOD संख्या–135 के एजेण्डा संख्या–51 पर प्रोन्नति करने हेतु अर्हकारी सेवा में तीन वर्ष एवं 8.33 प्रतिशत कोटे के तहत सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति करने हेतु अर्हकारी सेवा में एक वर्ष की शिथिलता प्रदान की गयी थी। आपको यह भी अवगत कराना कि BOD संख्या–139 के एजेण्डा संख्या–04 के तहत यह भी BOD में पारित है कि अर्हकारी सेवा में शिथिलता दिए जाने पर इसका लाभ पुनः नहीं दिया जायेगा। परन्तु उक्त प्रोन्नत सहायक अभियंताओं को BOD के निर्णय के विपरीत परिणामी ज्येष्ठता प्रदान करते हुए निर्गत सूची में चयन वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती से नियुक्त अभियंताओं के साथ परस्पर संविलीन कर दिया गया है जो कि BOD संख्या 135 एवं 139 की मूल भावना के विपरीत है। अतः प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को पुनः अग्रेतर लाभान्वित किया जाना वैध प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यावेदनकर्ताओं ने उन्हें सभी प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं से ऊपर, शीर्ष पर रखते हुए नियमानुसार परिष्कृत अंतिम वरिष्ठता सूची निर्गत करने का अनुरोध किया है।

क्रमशः 20/–

Pawan

निस्तारण आख्या :–

अवगत कराना है कि चयन वर्ष 2009–10 में अवर अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) से सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) पद पर प्रोन्नत हुए अभियन्ताओं को उनके प्रोन्नति के ही चयन वर्ष 2009–10 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1998 के प्राविधानानुसार ज्येष्ठता निर्धारित की जा रही है ना कि उन्हें कोई शिथिलता आदि प्रदान की जा रही है और ना ही उनको पृथक से कोई लाभ प्रदान किया जा रहा है। का0ज्ञा0सं0: 2065–मा०स०–01/विउनिलि/2026 दिनांक: 24.06.2026 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में इनकी निर्धारित की गयी ज्येष्ठता नियुमानुकूल है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपत्तिकर्ताओं का अभिकथन स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

(IX) कमांक 49 से 68 तक ने अभिकथन किया है कि :–

1. संज्ञानित होना चाहे कि वर्ष 2006 में विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं० 4/VSA/2006 द्वारा उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० में सहायक अभियन्ता (ई.एण्ड एम.) सवंर्ग के 270 पद विज्ञापित किये गये थे। उक्त 270 विज्ञापित पदों के सापेक्ष कुल 148 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात उक्त "न भरी गई रिक्तियों के विरूद्ध वर्ष 2008 में पुनः विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–U-02/UPRVUSA/2008 द्वारा उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० में सहायक अभियन्ता (ई.एण्ड एम.) सवंर्ग के पद विज्ञापित किये गये जिसके सापेक्ष ही इनकी भी नियुक्ति हुई थी। इससे यह स्पष्ट है कि इनकी नियुक्ति, वर्ष 2006 में विज्ञापित पदों के सापेक्ष "रिक्त रह गयी सीटों" के विरूद्ध अनुवर्ती वर्ष 2008 में पुनः विज्ञापित पदों के सापेक्ष हुई है।

इसकी पुष्टि, श्री विवेक कुमार, सहायक अभियन्ता, ओबरा तापीय परियोजना को आर०टी०आई० के जवाब में निगम मुख्यालय के पत्रांक–2136–मा०सं०–01/विउनिलि–20–12(18)–मा०सं०–01/2020 दिनांक–11/08/2020 द्वारा भी की गयी है।

इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर Civil Misc Writ Petition No- 8508 of 2020 में निगम द्वारा दाखिल काउंटर एफिडेविड के पृष्ठ सं0– 10 के पैरा 2,3,4 के अनुसार "Further as per proviso (iii) to regulation 8(3) of 1998 regulations, the seniority of the petitioner cannot be given between 2008-09 batch and 2009-10 batch as the selection year of the petitioners is 2010-11

Further in the selection year 2008-09, 270 post of assistant engineer (trainee) were advertised and after selection an appointment letters were issued to 253 candidates out of which only 148 assistant engineers(trainee) had joined but the benefit of the same cannot be given to the petitioners who got final appointment/absorption on 23-02-2011 w-e-f- 01-10-2010-"

उक्त काउंटर एफिडेविड में निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को यह जानकारी दी है कि इनकी नियुक्ति, वर्ष 2006 में विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं० 4/VSA/2006 द्वारा उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० में सहायक अभियन्ता (ई.एण्ड एम.) सवंर्ग के विज्ञापित 270 पदों के सापेक्ष, "न भरे गये/रिक्त रहे पदों के विरूद्ध अनुवर्ती वर्ष 2008 में पुनः विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–U-02/UPRVUSA/2008 द्वारा विज्ञापित पदों के विरूद्ध हुई है, किन्तु इन्हे उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 का लाभ, चयन वर्ष 2009–10 नहीं दिया जा सकता क्योंकि निगम द्वारा परिभाषित चयन वर्ष 2010–2011 हो रहा है।

साथ ही संज्ञानित कराना है कि उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 में वर्णित नियमानुसार "जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाये, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नही पायेंगे किन्तु यह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमे उनकी नियुक्तियां की जाये, किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखें जायेंगे।"

चूंकि, चयन वर्ष 2009–10 के लिए निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अब इनका चयन वर्ष 2009–10 तय किया गया है। जिससे इनको निगम द्वारा दाखिल काउंटर एफिडेविड के अनुसार उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध 2 का लाभ, चयन वर्ष 2009–10 में दिया जाना चाहिए जो कि स्वाभाविक एवं न्यायसंगत होगा।

क्रमश : 21/–

2. यह भी सूच्य है कि उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के अनुपालन में ही उ०प्र०पा०का०लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०: 4274–अ०प्र०–07/पाकालि/17–25–अ०प्र०–07/09 दिनांक: 28/09/2017 द्वारा निर्गत, चयन वर्ष 2011–2012 में सीधी भर्ती (उ०प्र०पा०का०लि० के विज्ञापन संख्या–1-VSA/2011 के सापेक्ष प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की अंतिम ज्येष्ठता सूची में भी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं (क्रम सं० 01 से 184 तक) के नाम, उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 का लाभ देते हुए शीर्ष पर रखें गये थे। उक्त निर्गत वरिष्ठता सूची के विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दाखिल वाद सं0–44512/2017, संतोष कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० एव अन्य तथा याचिका सं०: 36723/2017, संजय कुमार चतुर्वेदी व अन्य बनाम उ०प्र०राज्य एवं यू०पी०पी०सी०एल० के विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 के लाभ को सही ठहराया है।

तत्पश्चात, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल वाद आई०ए० नं० 28294 (2022) सिविल अपील नं0–5646–5647/2021, मुजीर्बुरहमान एवं अन्य यू०पी०पी०सी०एल एण्ड अन्य, जिसमें उत्पादन निगम के सहायक अभियन्ता राकेश कुमार एवं आशीष शर्मा भी वादी थे, इसमें मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में भी मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश को पूर्णतः सही मानते हुए चयन वर्ष को सही तरीके से परिभाषित किया। उक्त के अन्तिम निर्णय में :–

(a) मा० सर्वोच्च न्यायालय ने मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सीधी भर्ती अभियन्ताओं के बैकलाग से रिक्त वर्ष से ज्येष्ठता के आदेश के नियम को सही ठहराया है।

"This Court is of the opinion that the conclusions recorded by the High court reflects the correct position of the Rules-"

(b) अग्रेतर ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय ने कहा :– "A person appointed against a clear substantive vacancy in the direct quota, under the existing rules, can legitimately claim to be born in the cadre from the date of his initial Appointment and not after the completion of training or probation-"

मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के पश्चात उक्त आदेश के लागू करने हेतु वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अध्यक्ष, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० को दिनांक 21.07.2023 को प्रेषित नोटिस में बिन्दु सं0–6 पर यह कहा गया कि "That, My client (Assistant Engineer- direct recruit 2009-10) en block higher than promotee in the seniority list of year 2009-10 in accordance with proviso (ii) of regulation 8(3) of 1998 regulation- As my clients are recruited against unfilled vacancy of 2008 batch-"

किन्तु, चयन वर्ष 2009–10 के लिए निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची में इनको मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 का लाभ न देते हुए, चयन वर्ष 2009–2010 हेतु निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची में शीर्ष पर नही रखते हुए प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं के साथ 1 : 1 के अनुपात में चक्रानुक्रम में रखा गया है, जो कि उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 के नियमों के विपरीत होने के साथ–साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल वाद आई०ए० नं० 28294(2022) सिविल अपील नं० –5646–5647/2021 में पारित आदेश की अवमानना भी है।

3. वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति दोनों के द्वारा नियुक्तियाँ की गयी थी। 40 प्रतिशत कोटे के तहत सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति करने हेतु BOD संख्या 135 के एजेण्डा संख्या 51 पर प्रोन्नति करने हेतु अर्हकारी सेवा में तीन वर्ष एवं 8.33 प्रतिशत कोटे के तहत सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति करने हेतु अर्हकारी सेवा में एक वर्ष की शिथिलता प्रदान की गयी थी। आपको यह भी अवगत कराना कि BOD संख्या–139 के एजेण्डा संख्या–04 के तहत यह भी BOD में पारित है कि अर्हकारी सेवा में शिथिलता दिए जाने पर इसका लाभ पुनः नहीं दिया जायेगा। अतः: प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को चयन वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती से नियुक्ति सहायक अभियन्ताओं के बाद स्थान दिया जाये।

अनन्तिम सूची, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल वाद आई०ए० नं० 28294 (2022) सिविल अपील नं0–5646–5647/2021 मुजीर्बुरहमान एवं अन्य यू०पी०पी०सी०एल एण्ड अन्य में पारित आदेश, मा० उच्चतम न्यायालय के वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा, अध्यक्ष, उ०प्र०रा०वि० उ०नि०लि० को दिनांक रू 21.07.2023 को प्रेषित नोटिस एवं उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 के नियमो के विरूद्ध होने के कारण नियमसम्मत और वैध नही है।

क्रमश : 22/–

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में इनको (जो कि चयन वर्ष 2009–2010 में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त है) इस वरिष्ठता सूची में सभी प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं से ऊपर, शीर्ष पर रखते हुए अंतिम वरिष्ठता सूची निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

निस्तारण आख्या :–

उपरोक्त क्रमांक 34 से 41, 43 से 45 तथा 46 से 48 पर उल्लिखित निस्तारण आख्या अनुसार अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(X) क्रमांक 69 ने अभिकथन किया है कि :–

1. आपत्ति हेतु कम समय प्रदान करना – प्रभावित सहायक अभियन्ताओं से यह अपेक्षा की गई है कि मात्र 7 दिवसों में अध्ययन कर आपत्ति दर्ज करवा देंगे। कृपया उक्त अवधि को कम से कम एक माह रखना चाहिए था। अतः प्रार्थना है कि उक्त अन्तिम तिथि को न्यूतनम 15 दिवस आगे बढ़ाने की कृपा करें।

2. विहित कोटा से कम चयन (बैंक लॉग के आधार पर 2009 बैच के सहायक अभियन्ताओं को शीर्ष पर होने सम्बन्धी आधार एवं नियम

चयन वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं (2009 बैच) को उसी वर्ष प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं से ऊपर रखा जाना चाहिए था अर्थात् न्यूनतम अर्हता में छूट पाये प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के बाद रखा जाना चाहिए था। ऐसा किये जाने के संबंध में विभिन्न तथ्य/नियम/कारण निम्नवत् हैं :–

(A) विहित कोटा से कम चयन (बैक–लॉग) होने पर वर्तमान स्थापित नियम निम्न हैं :–

कार्यालय ज्ञाप सं० 1488–मा०सं०–01/विउनिलि/2026–13–मा०सं०– 01/2011 (टीसी–2) दिनांक 15 मई, 2026 द्वारा तद्दिनांक से–"नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि के चयन वर्ष में" एवं तद्दिनांक से पूर्व में – "अंतिम रूप से घोषित ज्येष्ठता सूचियां यथावत रहेंगी" का निर्णय करते हुये, ज्येष्ठता निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियामावली–1998 (यथासंशोधित) के प्राविधानों को स्वीकार किया गया है। उक्त नियमावली के भाग–2, ज्येष्ठता का आधारण, प्रस्तर सं०–8(3) बिन्दु सं०–दो (पृष्ठ सं–5) में वर्णित है कि "प्रतिबन्ध यह है कि– जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाए, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेगें किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेगें जिसमें उनकी नियुक्यिों की जायें, किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखें जायेगें, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखें जायेगें।"

उपरोक्त स्थापित नियम के प्रकाश में यह अवगत कराना है चयन वर्ष 2009–2010 में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियता (2009 बैच) पूर्व में 2008 बैच की बची हुई, (विहित–कोटा से कम बैक–लॉग) वाली नियुक्ति है। यह तथ्य निम्न बिन्दुओं द्वारा स्थापित हो जाता है –

(i) विभाग द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना :–

अवगत् कराना है कि 2009 सीधी भर्ती बैच से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत श्री विवेक कुमार, सहायक अभियन्ता ओबरा द्वारा मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में जन सूचना अधिकारी (कारपोरेट) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन मा०सं०–01/वि०उ०नि०लि०/विस्तार, लखनऊ के पत्र सं० 2136–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2020–12(18)मा०सं०–01/2020 दिनांक 11 अगस्त 2020 की पृच्छा सं0–02 में सूचना दी गयी है कि "उक्त विज्ञापित पदों के क्रम में पुनः 150 सहायक अभियन्ता (ई०एण्ड०एम०) का विज्ञापन वर्ष 2008 में विज्ञापित किया गया था, जिसके सापेक्ष 150 अभियार्थियों का चयन हुआ जिसमें 110 अभियार्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया। विज्ञापन उ०प्र०रा०वि०उ० सेवा आयोग द्वारा निर्गत किया गया था। उक्त सूचना उत्पादन सेवा आयोग से प्राप्त किया जाना उचित होगा।"

(ii) विभाग द्वारा दिया गया शपथ–पत्र–

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर Civil Misc Writ Petition No.8508 of 2020 में निगम द्वारा दाखिल काउंटर एफिडेविड के पृष्ठ सं0–10 के पैरा 2,3,4 के अनुसार :–

"Further as per proviso (iii) to regulation 8 (3) of 1998 regulations, the seniority of the petitioner cannot be given between 2008-09 batch and 2009-10 batch as the selection year of the petitioners is 2010-11.

Further in the selection year 2008-09, 270 post of assistant engineer (trainee) were advertised and after selection an appointment letters were issued to 253 candidates out of which only 148 assistant engineers (trainee) had joined but the benefit of the same cannot be given to the petitioners who got final appointment/absorption on 23.02.2011 w.e.f- 01.10.2010."

क्रमशः : 23/–

Pawan

उक्त काउंटर एफिडेविड में निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को यह जानकारी दी है कि प्रार्थी की नियुक्ति, वर्ष 2006 में विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं0 4/VSA/2006 द्वारा उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० में सहायक अभियन्ता (ई.एण्ड एम.) सवंर्ग के विज्ञापित 270 पदों के सापेक्ष, "न भरे गये रिक्त रहे पदों के विरूद्ध अनुवर्ती वर्ष 2008 में पुनः विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या – U-02/UPRVUSA/2008 द्वारा विज्ञापित पदों के विरूद्ध हुई है, किन्तु इन्हे उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के प्रस्तर 8 के प्रतिबन्ध –2 का लाभ, चयन वर्ष 2009–10 नहीं दिया जा सकता क्योंकि निगम द्वारा परिभाषित चयन वर्ष 2010–2011 हो रहा है। साथ ही संज्ञानित कराना है कि उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 में वर्णित नियमानुसार "जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाये, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नही पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमे उनकी नियुक्तियां की जाये, किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखें जायेंगे।"

चूंकि, चयन वर्ष 2009–10 के लिए निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अब इनका चयन वर्ष 2009–10 तय किया गया है। जिससे इनको निगम द्वारा दाखिल काउंटर एफिडेविड के अनुसार उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 का लाभ, चयन वर्ष 2009–10 में दिया जाना चाहिए जो कि स्वाभाविक एवं न्यायसंगत होगा।

(B) अवगत कराना है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में इसी प्रकार का, विहित कोटा से कम चयन (बैंक–लॉग) का प्रकरण आया था। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायलय ने अपने आदेशों द्वारा बैंक–लॉग चयन को शीर्ष पर रखे जाना उचित ठहराया है। इसका विवरण निम्नवत है :–

उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के अनुपालन में ही उ०प्र०पा०का०लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०: 4274–अ०प्र०–07/पाकालि/17–25–अ०प्र०दृ–07/09 दिनांकः 28/09/2017 द्वारा निर्गत, चयन वर्ष 2011–2012 में सीधी भर्ती (उ०प्र०पा०का०लि० के विज्ञापन संख्या–1/VSA/2011 के सापेक्ष प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की अंतिम ज्येष्ठता सूची में भी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं (क्रम सं० 01 से 184 तक) के नाम, उ०प्र०रा०वि०प० सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 का लाभ देते हुए शीर्ष पर रखें गये थे। उक्त निर्गत वरिष्ठता सूची के विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दाखिल वाद सं0–44512/2017, संतोष कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० एव अन्य तथा याचिका सं0 36723/2017, संजय कुमार चतुर्वेदी व अन्य बनाम उ०प्र०राज्य एवं यू०पी०पी०सी०एल० के विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विनियमावली 1998 के प्रस्तर–8 के प्रतिबन्ध–2 के लाभ को सही ठहराया है।

तत्पश्चात, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल वाद आई०ए० नं० 28294 (2022) सिविल अपील नं0–5646–5647/2021, मुजीबुरहमान एवं अन्य यू०पी०पी०सी०एल एण्ड अन्य, जिसमें उत्पादन निगम के सहायक अभियन्ता श्री राकेश कुमार एवं श्री आशीष शर्मा भी वादी थे, इसमें मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में भी मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश को पूर्णतः सही मानते हुए चयन वर्ष को सही तरीके से परिभाषित किया। उक्त के अन्तिम निर्णय में :–

(a) मा० सर्वोच्च न्यायालय ने मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सीधी भर्ती अभियन्ताओं के बैकलाग से रिक्त वर्ष से ज्येष्ठता के आदेश के नियम को सही ठहराया है।

"This Court is of the opinion that the conclusions recorded by the High Court reflects the correct position of the Rules-"

(b) अग्रेतर ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय ने कहा :– "A person appointed against a clear substantive vacancy in the direct quota, under the existing rules, can legitimately claim to be born in the cadre from the date of his initial Appointment and not after the completion of training or probation-"

मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के पश्चात उक्त आदेश के लागू करने हेतु वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अध्यक्ष, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० को दिनांक 21.07.2023 को प्रेषित नोटिस में बिन्दु सं0–6 पर यह कहा गया कि "That, My client (Assistant Engineer- direct recruit 2009-10) en block higher than promotee in the seniority list of year 2009-10 in accordance with proviso (ii) of regulation 8(3) of 1998 regulation – As my clients are recruited against unfilled vacancy of 2008 batch."

क्रमश : 24/–

Pawan

(C) चयन वर्ष 2009–2010 में प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को विषयगत् अनन्तिक वरिष्ठता सूची में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं (2009 बैच) के साथ नीचे रखने के कारण आधार/नियम :–

(i) न्यूनतम अर्हता में छूट प्राप्त प्रोन्नत सहायक अभियन्ता–

इस संबंध में अवगत कराना है कि सीधी भर्ती स्रोत के सहायक अभियन्ताओं की लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं ग्रुप डिस्कशन सम्बन्धी प्रक्रिया माह जनवरी 2009 तक सम्पन्न हो चुकी थी। तथा अन्तिम परिणाम फरवरी 2009 के प्रारम्भ में आ चुका था। तदोपरान्त 40% प्रोन्नत कोटे के अन्तर्गत इस समयावधि में कोई भी अवर अभियन्ता न्यूनतम अर्हता धारित नहीं कर रहा था। अतः उन्हें प्रोन्नत करने हेतु BOD संख्या 135 के एजेन्डा संख्या–51 द्वारा अर्हकारी सेवा में तीन वर्ष की शिथिलता प्रदान की गई। साथ ही BOD संख्या–139 के एजेन्डा संख्या–04 के तहत यह भी पारित किया गया कि अर्हकारी सेवा में शिथिलता का लाभ पुनः नहीं दिया जायेगा। उपरोक्त से बिल्कुल स्पष्ट है कि :–

(a) निगम में सहायक अभियन्ताओं की कमी के कारण आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हुई थी परन्तु फिर भी फरवरी माह में सीधी भर्ती से अन्तिम रूप से चयनित सहायक अभियन्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रेषित नहीं किया।

(b) उपरोक्त BOD-135–BOD.139 होने से पूर्व कोई भी अवर अभियन्ता न्यूनतम अर्हकारी सेवा ग्रहण नहीं किये हुए था। इन्हें BOD के द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों में 3 वर्ष की शिथिलता प्रदान की गई थी।

उक्त के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत कोटे के तहत सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति करने हेतु BOD संख्या 135 के एजेण्डा संख्या–51 पर प्रोन्नति करने हेतु अर्हकारी सेवा में तीन वर्ष एवं 8.33 प्रतिशत कोटे के तहत सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति करने हेतु अर्हकारी सेवा में एक वर्ष की शिथिलता प्रदान की गयी थी। यह भी सूच्य है कि BOD संख्या–139 के एजेण्डा संख्या–04 पृष्ठ संख्या–07 के तहत यह भी BOD में पारित है कि अर्हकारी सेवा में शिथिलता दिए जाने पर इसका लाभ पुनः नहीं दिया जायेगा। 40 प्रतिशत कोटे के तहत सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति करने हेतु दी गयी यह शिथिलता सहायक अभियन्ता के पद पर कमी की आपात स्थिति को देखते हुए दी गयी थी। विनियमावली 1998 के भाग–दो प्रस्तर–5 के स्पष्टीकरण में वर्णित है कि "एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक–पृथक चयन किये जाये तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन पूर्ववर्ती माना जाये"। अतः प्रार्थी जो कि सीधी भर्ती से सहायक अभियन्ता पद पर नियमित भर्ती से नियुक्त है की वरिष्ठता उसी वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के ऊपर चयन वर्ष 2009–10 में शीर्ष पर रखा जाना चाहिए।

(ii) परिणामी ज्येष्ठता प्रदान ना करने संबंधी नियम :–

जैसा कि बिन्दु संख्या (C) (ii) में स्पष्ट हो चुका है प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को तीन वर्ष की छूट प्रदान कर इस शर्त के साथ प्रोन्नत किया गया है कि इसमें कोई पुनः लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। अतः स्पष्ट है कि विषयगत् अनन्तिक सूची में प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं के नाम शामिल किया जाना, इन्हें परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्रदान किया जाना परिलक्षित होता है। जबकि परिणामी ज्येष्ठता प्रदान करने संबंधी आदेश निरस्त हो चुका है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

"उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1991 के प्रस्तर 8 "क" को जोड़ने के पश्चात् विभागों में परिणामी ज्येष्ठता प्रभावी हो गयी थी, परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशोपरान्त मुख्यालय ज्ञाप संख्या 1051–मा०सं०प्र०–02/उनिलि/2012/50–मा०सं०प्र०–02/2007 दिनांक–17/05/2012 द्वारा विभाग में प्रदत्त परिणामी ज्येष्ठता का लाभ निष्प्रभावी कर दिया गया है। अतः 2009 में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं को अर्हकारी सेवा में दी गयी तीन वर्षों की शिथिलता के फलस्वरुप मिलने वाली परिणामी ज्येष्ठता उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के आलोक में निरस्त है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि जैसा कि उ०प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता विनियमावली 1991 के भाग–तीन के बिन्दु संख्या–02 ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त 12 पर भी वर्णित है : "पूर्वगामी तिथि से नियुक्ति करके "काल्पनिक ज्येष्ठता" प्रदान करना अवैध है, विशेषकर जब इसके परिणाम स्वरुप सेवा में विद्यमान व्यक्तियों की ज्येष्ठता प्रभावी होती है।"

अतः वर्ष 2009 में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता उसी वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के ऊपर रखी जाये। तथा वर्ष 2009 में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता, वर्ष 2011 में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के बाद रखी जाये (अर्हकारी सेवा में दी गयी शिथिलता को हटाकर)।

क्रमशः 25/–

उपरोक्त के आलोक में इन्होंने विषयगत अनन्तिम वरिष्ठता सूची में सभी प्रोन्नत सहायक अभियंताओं से, ऊपर शीर्ष पर उपर्युक्त स्थान पर रखते हुए नियमानुसार वरिष्ठता सूची निर्गत करने का अनुरोध किया है।

निस्तारण आख्या :–

उपरोक्त क्रमांक 34 से 41, 43 से 45 तथा 46 से 48 पर उल्लिखित आख्या अनुसार अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(XI) क्रमांक 70 से 101 तक ने अभिकथन किया है कि :–

इन लोगों की नियुक्ति 03/विसेआ/1998 के तहत दिनांक 08.08.1999 एवं 19.12.1999 को आयोजित लिखित परीक्षा तथा 20.06.2000 से 28.06.2000 के मध्य आयोजित साक्षात्कार के आधार पर आदेश सं0: 1124–मा0सं0–03/ उनिलि/2006–5(7)–मा0सं0–03/2001 दिनांक 28.04.2006 के तहत अवर अभियन्ता पद पर हुई थी। तदोपरान्त आदेश सं0: 4364–मा0सं0–01/विउनिलि/2012 दिनांक 30.10.2012, सं0: 2188–मा0सं0–01/विउनिलि/2015 दिनांक 29.07.2015, सं0: 2775–मा0सं0–01/विउनिलि/2017 दिनांक 03.08.2017 तथा सं0: 3191–मा0सं0–01/विउनिलि/2018 दिनांक 21.08.2018 के तहत इन लोगों को सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नत किया गया था।

इन कार्मिकों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि निर्गत की गयी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में उन्हें का0ज्ञा0सं0: 2425–मा0स0–01/विउनिलि/2009 दिनांक 06.08.2009 के माध्यम से पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं के साथ प्राप्तांकों के क्रम में रखते हुए वरिष्ठता सूची जारी की जाय, जिस प्रकार का0ज्ञा0सं0: 2158, 2157, 2164–मा0सं0–01/विउनिलि/2006 दिनांक 30.06.2026 द्वारा 2008 बैच के प्रोन्नत हुए अधिशासी अभियन्ताआं की प्रोन्नति तिथि 01.12.2021 से प्राप्तांकों के क्रम में कनिष्ठ से ऊपर रखते हुए की गयी है। उक्त से अवगत कराते हुए इन्होंने जिस प्रकार से उक्त आदेशों में अंगीकृत नियमावली के तारतम्य में अभियन्ताओं की वरिष्ठता एक ही विज्ञप्ति से चयनित तिथि से प्राप्तांकों के क्रम में रखी गयी है उसी प्रकार इनकी वरिष्ठता भी एक ही विज्ञप्ति से चयनित 2009 में प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं के मध्य प्राप्तांकों के क्रम में रखते हुए अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी किये जाने का अनुरोध किया है।

निस्तारण आख्या :–

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1998 के विनियम–8 यथा "उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जाय" के प्रस्तर 2(ख) में निम्नवत प्राविधानित है :–

"पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्ग से होती है यथास्थिति, विनियम–6 या विनियम–7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।"

ज्ञातव्य हों कि विनियम–6 में स्पष्ट प्राविधानित है कि "जहां सेवा विनियमों के अनुसार नियुक्तियां। केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।"

उक्त प्राविधानान्तर्गत ही का0ज्ञा0सं0: 2065–मा०स०–01/विउनिलि/2026 दिनांक 24.06.2026 के माध्यम से निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में का0ज्ञा0सं0: 2425/मा०सं०–01/विउनिलि/2009 दिनाँक 06.08.2009, सं0: 3382–मा0सं0–01/विउनिलि/2009 दिनांक: 28.10.2009 तथा सं0: 666–मा0सं0–01/विउनिलि/2010 दिनांक: 11.03.2010 द्वारा चयन वर्ष 2009–10 में प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को उनकी पोषक संवर्ग में उनके द्वारा धारित ज्येष्ठता के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है। चूंकि प्रत्यावेदनकर्ता चयन वर्ष 2009–10 में सहायक अभियनता पद पर कार्यरत नहीं थे और उनके नाम पोषक संवर्ग अर्थात अवर अभियन्ता पद की संगत वरिष्ठता सूची में उल्लिखित नहीं है, जिसके दृष्टिगत प्रत्यावेदनकर्ताओं के नाम चयन वर्ष 2009–10 की ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि प्रस्तुत प्रकरण चयन वर्ष 2009–10 के सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) पद्धारकों की ज्येष्ठता निर्धारण से सम्बन्धित है ना कि पूर्व में घोषित की गयी अवर अभियन्ता संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के पुनर्निर्धारण करने से। उक्त अभिकथन की कोई प्रासंगिकता न होने के दृष्टिगत इस पर पृथक से टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्त के दृष्टिगत इन प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा किया गया अभिकथन स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

क्रमश : 26/–

(XII) <u>क्रमांक 102 श्री सुरेश कुमार द्वारा याचिका सं0: 9045/2026 सुरेश कुमार प्रजापति व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 19.08.2026 :–</u>

श्री सुरेश कुमार ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं0: 9045/2026 में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2026 के क्रम में अपना प्रत्यावेदन दिनांक 19.08.2026 प्रेषित कर मुख्यतः निम्नवत् अभिकथन करते हुए चयन वर्षः 2009–2010 हेतु घोषित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में नियमानुसार निम्नवत् संशोधन किये जाने का अनुरोध किया है :–

1. सीधी भर्ती/प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं की चयन वर्ष 2009–10 हेतु घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची के क्रम संख्याः 1, 3, 5, 7, 9, 11 एवं 13 पर अंकित प्रोन्नत/सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ताओं का नाम कार्यालय ज्ञाप संख्या 3085–मा०सं०–03/उनिलि/2006–5(11)–मा०सं०–03/2015, दिनांकः 05.10.2015 के पैरा (क) में उल्लेखित कार्यालय ज्ञाप संख्या 389–मा०सं०–03/उनिलि/2006, दिनांकः 16.02.2006 द्वारा निर्गत अवर अभियन्ताओं की निगमीय अन्तिम ज्येष्ठता सूची से पोषक पद पर पदावनत होने के कारण क्रम संख्या 384 से 441 तक विलोपित किये जाने के कारण, चयन वर्षः 2009–2010 में से उक्त सातों प्रोन्नत/सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ताओं का नाम वरिष्ठता सूची से हटाया जाना चाहिए।

2. मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश, जो उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में सहायक अभियन्ता के वरिष्ठता निर्धारण हेतु दिया गया है, के आधार पर ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन सम्बन्धी आदेश निगम के कार्यालय ज्ञाप सं० 1488–मा०सं०–01/विउनिलि/2026–13–मा०सं०–01/2011 (टीसी–2) दिनांक 15.05.2026 द्वारा जारी किया गया है। पूर्व में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित कई आदेशों में यह स्पष्ट रूप से दिशानिर्देशित किया गया है कि

   "संशोधन आदेशों की सीमायें होती हैं जिन्हें भूतलक्षीय प्रभाव से नहीं लागू किया जा सकता है।"

   "It is a settled principle that a revisionary order cannot speak to a period prior to its date of issuance, lacking statutory authority for retroactive enforcement-"

   अतः ज्येष्ठता निमावली में संशोधन सम्बन्धी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिये न कि चयन वर्ष 2007–2008 से। उक्त आदेश को पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू करना माननीय न्यायालयों के आदेश की अवहेलना है। अतः उक्त नियमावली में संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू करते हुये इनकी ज्येष्ठता सूची निर्धारित की जानी चाहिये।

3 वर्षः 2007–2008 में निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा संख्या नोटः 22 में दर्शित तालिका के अनुसार सीधी भर्ती के 234 सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पद के सापेक्ष (40%+8.33%+1.33%= 49.66%) प्रोन्नत कोटा के कुल 198 पद खाली थे। अतः उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के भाग–2 विनियम–8, प्रतिवन्ध–2 के अन्तर्गत विनियम को संज्ञानित करते हुए, चयन वर्ष 2008–2009 के ठीक बाद तथा चयन वर्ष 2009–2010 के शीर्ष पर इनकी ज्येष्ठता योजित की जाय। तदोपरान्त सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता का निर्धारण करते हुये अनन्तिम सूची संशोधित की जाय।

<u>निस्तारण आख्या :–</u>

अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पारित निर्णय के क्रम में याचिकाकर्ताओं को पत्रांक 2925–मा0सं0–01/विउनिलि/2026 दिनांक 13.08.2026 इस आशय से प्रषित किया गया था कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता अपना प्रत्यावेदन यथाशीघ्र निगम मुख्यालय को उपलब्ध करायें। उक्त के क्रम में याचिकाकर्ता श्री सुरेश कुमार द्वारा पुनः 01 नवीन प्रत्यावेदन दिनांक 19.08.2026 प्रस्तुत किया गया है जिसका विषय उनके द्वारा योजित की गयी याचिका में मॉगे गये अनुतोष से तथा उनके अधिवक्ता के माध्यम से पूर्व प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 07.08.2026 से पूर्णतयः भिन्न है, जबकि याचिकाकर्ताओं से यह अपेक्षित था कि उनका प्रत्यावेदन निगम मुख्यालय में प्राप्त न होने की दशा में उन्हें अपने पूर्व प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 07.08.2026 की प्रति निगम मुख्यालय को उपलब्ध करानी चाहिये थी, ना कि 01 नवीन प्रत्यावेदन। उक्त के अतिरिक्त श्री सुरेश कुमार द्वारा का0ज्ञा0सं0: 2065–मा0सं0–01/विउनिलि/2026 दिनांक 24.06.2026 के विरुद्ध आमंत्रित की गयी आपत्तियों के संदर्भ में भी 01 प्रत्यावेदन दिनांक 29.06.2026 प्रस्तुत किया है, जो कि क्रमांक 21 पर (क्रमांक 20 से 32) विचारित किया गया है, यह आवेदन भी इनके द्वारा प्रेषित अन्य प्रत्यावेदनों से पूर्णतयः भिन्न है। परन्तु फिर भी श्री सुरेश कुमार द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 19.08.2026 में किये गये

क्रमशः 27/–

Rawan

मुख्य अभिकथनों का निम्नवत् निस्तारण किया जाता है :-

1. उपरोक्त क्रमांक 02 से 19 पर उल्लिखित आख्यानुसार चयन वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती व प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) की घोषित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में से क्रमांकः 01, 03, 05, 07, 09, 11 व 13 पर क्रमशः उल्लिखित सर्वश्री शिव पूजन, गोपाल दास, राम मूरत, रमेश चन्द्र, ओम प्रकाश, धर्मवीर सिंह तथा देवी दीन के नाम ज्येष्ठता सूची से विलोपित करते हुए, इनसे कनिष्ठ प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं का नाम इनके स्थान पर रखते हुए चक्रानुक्रम को पुनर्निर्धारित किये जाने हेतु किये गये अभिकथन को समीचीन पाया गया।
2. अवगत कराना है कि प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1998 के प्राविधानों को भूतलक्षीय प्रभाव (Retrospective effect) से संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में भ्रामक अभिकथन किया जा रहा है क्योंकि निगम द्वारा निर्गत का0ज्ञा0सं0: 1488–मा0सं0–01/विउनिलि/2026 दिनांक 15.05.2026 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1998 के कोई भी प्राविधान संशोधित नहीं किये गये हैं अपितु उक्त आदेश के माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा CIVIL APPEAL NOS. 5646-5647 OF 2021 मुजिर्बुरहमान व अन्य बनाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (वाद में उ0नि0लि0 के सहायक अभियन्ता भी वादी थे) में दिनांक 11.07.2023 को पारित निर्णय को तत्काल प्रभाव से उत्पादन निगम लि0 के सहायक अभियन्ता संवर्ग की अग्रेतर जारी की जाने वाली ज्येष्ठता सूचियों हेतु प्रभावी किया गया है।

   उपरोक्त के दृष्टिगत श्री सुरेश कुमार द्वारा किये गये अभिकथनों में मात्र अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में से क्रमांकः 01, 03, 05, 07, 09, 11 व 13 पर क्रमशः उल्लिखित सर्वश्री शिव पूजन, गोपाल दास, राम मूरत, रमेश चन्द्र, ओम प्रकाश, धर्मवीर सिंह तथा देवी दीन के नाम ज्येष्ठता सूची से विलोपित करते हुए, इनसे कनिष्ठ प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं का नाम इनके स्थान पर रखते हुए चक्रानुक्रम को पुनर्निर्धारित किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिकथन स्वीकार्य योग्य नहीं पाये गये।

3– उक्त के अतिरिक्त चयन वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0), दोनों के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के भाग–दो, विनियम 8 (3) के प्रतिबन्ध–2 के अनुसार पूर्व व्यापी/संचित रिक्तियों के आधार पर वरिष्ठता सूची में उन्हें दूसरे स्रोत के सहायक अभियन्ताओं से शीर्ष स्थान पर रखने का लाभ देते हुए अंतिम वरिष्ठता सूची निर्गत किये जाने के अनुरोध के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के प्रस्तर–8(3) के प्रतिबन्ध सं0–(दो) हेतु यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि पूर्व व्यापी/संचित रिक्तियों के आधार पर पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों को यदि वरिष्ठता में शीर्ष स्थान का लाभ दिया जाता है, तो वह लाभ सरकारी सेवा में आने से पहले का परोक्ष भूतलक्षीय लाभ होगा। वरिष्ठता में उक्त परोक्ष भूतलक्षीय लाभ दिया जाना निम्नलिखित दशाओं के दृष्टिगत तार्किक नहीं होगा :-

(अ) सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कार्मिक पूर्व व्यापी/संचित रिक्तियों के आधार पर चयन/नियुक्ति से पूर्व वास्तविक रूप से सेवा में नहीं था। ऐसा सम्भव है कि यदि प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती होती रहती, तो यह जरूरी नहीं है कि परीक्षा उत्तीर्ण कर उक्त कार्मिक का चयन भी पूर्व में हो जाता।

(ब) पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के मामलों में जहॉ तक पूर्वव्यापी/संचित रिक्तियों का प्रश्न है, ऐसा सम्भव हो सकता है कि पूर्व के वर्षों में पदोन्नति कोटे के पद उपलब्ध रहे हों, किन्तु पदोन्नति हेतु कार्मिक आवश्यक अर्हता न रखते हों।

उपरोक्त (अ) व (ब) से कतिपय स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के प्रस्तर–8(3) के प्रतिबन्ध–(दो) में उल्लिखित सिद्धान्त एक प्रबल सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव भूतलक्षीय है। इस प्रकार से ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के प्रस्तर–8(3) के अन्तर्गत एक चयन वर्ष में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के मध्य चक्रानुक्रम (Ratio as per percentage quota defined in Service Regulation) में वरिष्ठता निर्धारण किया जाना ही प्रबल एवं वैध सिद्धान्त है।

उपरोक्त के दृष्टिगत चयन वर्ष 2009–10 के सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) के ज्येष्ठता निर्धारण प्रकरण हेतु 1:1 चक्रानुक्रम में जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पूर्णतयः उचित है तथा सीधी भर्ती व प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0),

क्रमशः 28/-

Paswan

दोनों के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली–1998 के भाग–दो, विनियम 8 (3) के प्रतिबन्ध–2 के अनुसार पूर्व व्यापी/संचित रिक्तियों के आधार पर वरिष्ठता सूची में उन्हें दूसरे स्रोत के सहायक अभियन्ताओं से शीर्ष स्थान पर रखने का लाभ देते हुए अंतिम वरिष्ठता सूची निर्गत किये जाने का अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4– उक्त के आलोक में का0ज्ञा0सं0: 2065–मा0सं0–01/विउनिलि/2026 दिनांक 24.06.2026 द्वारा चयन वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती व प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) की घोषित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध प्राप्त समस्त 102 प्रत्यावेदनों में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में से क्रमांक: 01, 03, 05, 07, 09, 11 व 13 पर क्रमशः उल्लिखित सर्वश्री शिव पूजन, गोपाल दास, राम मूरत, रमेश चन्द्र, ओम प्रकाश, धर्मवीर सिंह तथा देवी दीन के नाम ज्येष्ठता सूची से विलोपित करते हुए, इनसे कनिष्ठ प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं का नाम इनके स्थान पर रखते हुए चक्रानुक्रम को पुनर्निर्धारित किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिकथन स्वीकार्य योग्य नहीं पाये गये।

अतः प्राप्त 102 प्रत्यावेदनों का उपरोक्त प्रस्तर–2 व 3 अनुसार निस्तारण किया जाता है साथ ही अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किये गये परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर प्रोन्नत हुए 07 कार्मिकों, के नाम विलोपित करने के पश्चात इनके स्थान पर इनसे कनष्ठि प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं का नाम सज्जित कर चक्रानुक्रम को पुनर्निर्धारित करने के उपरान्त दिवंगत/सेवानिवृत्त/त्यागपत्रित कार्मिकों के नाम हटाते हुए, चयन वर्ष 2009–10 हेतु सीधी भर्ती व प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निम्नवत घोषित की जाती है :–

चयन वर्ष 2009–10 में सीधी भर्ती व प्रोन्नति से नियुक्त सहायक अभियन्ता (वि0 एवं यॉ0) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची

क्र0 सं0	नाम (सर्वश्री)/(सुश्री) तथा वर्ग	अभिज्ञान संख्या	जन्मतिथि	प्रोन्नति/नियुक्ति पत्र निर्गमन तिथि	भर्ती का स्रोत/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	रेखा रानी (अ0पि0व0)	2011107	12.12.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
2	बृजराज सिंह (अ0पि0व0)	2011108	15.08.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
3	सुरेश मौर्या (अ0पि0व0)	2011087	22.10.1985	25.07.2009	सीधी भर्ती
4	सूर्य प्रकाश पाल (अ0पि0व0)	2009171	07.06.1967	06.08.2009	प्रोन्नति
5	संदीप कुमार अस्थाना (सा0)	2011112	09.01.1981	25.07.2009	सीधी भर्ती
6	मृदुरंजन श्रीवास्तव (सा0)	2011076	10.04.1984	25.07.2009	सीधी भर्ती
7	राजेश कुमार अग्रवाल (सा0)	2009173	18.09.1971	06.08.2009	प्रोन्नति
8	त्रिलोक नाथ पाठक (सा0)	2011011	26.12.1978	25.07.2009	सीधी भर्ती
9	रमेश कुमार सिंह (सा0)	2009174	03.03.1971	06.08.2009	प्रोन्नति
10	संतोष कुमार (सा0)	2011018	17.01.1980	25.07.2009	सीधी भर्ती
11	राजेश कुमार पाण्डेय (सा0)	2009175	16.08.1972	06.08.2009	प्रोन्नति
12	गोपाल वल्लभ पटेल (अ0पि0व0)	2009176	10.03.1975	06.08.2009	प्रोन्नति
13	मयंक द्विवेदी (सा0)	2011070	09.01.1985	25.07.2009	सीधी भर्ती
14	नवनीत शर्मा (सा0)	2009177	05.01.1970	06.08.2009	प्रोन्नति
15	राकेश कुमार सिंह (सा0)	2009178	05.10.1972	06.08.2009	प्रोन्नति
16	बाल कृष्ण प्रजापति (सा0)	2011077	27.04.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
17	अरूण कुमार चौरसिया (अ0पि0व0)	2009179	02.09.1976	06.08.2009	प्रोन्नति

क्रमशः 29/–

Rawat.

18	सनी कुमार गुप्ता (अ0पि0व0)	2011084	30.11.1985	25.07.2009	सीधी भर्ती
19	केशव कान्त (अ0पि0व0)	2009180	09.01.1972	06.08.2009	प्रोन्नति
20	अरूण कुमार सिंह (सा0)	2009181	10.07.1977	06.08.2009	प्रोन्नति
21	पीयूष कुमार राय (सा0)	2011021	01.06.1985	25.07.2009	सीधी भर्ती
22	नीरज कुमार धीमान (अ0पि0व0)	2009182	10.06.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
23	निरंजन कुमार (सा0)	2011066	20.02.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
24	मो0 रियाजुद्दीन (अ0पि0व0)	2009183	10.01.1976	06.08.2009	प्रोन्नति
25	मो0 अनीश खान (अ0पि0व0)	2011109	10.05.1982	25.07.2009	सीधी भर्ती
26	नन्द किशोर सिंह (अ0पि0व0)	2009184	06.07.1973	06.08.2009	प्रोन्नति
27	विनय कुमार दीक्षित (सा0)	2011085	17.05.1984	25.07.2009	सीधी भर्ती
28	मनोज कुमार (सा0)	2009185	27.01.1971	06.08.2009	प्रोन्नति
29	अतुल कुमार राय (सा0)	2009186	03.06.1978	06.08.2009	प्रोन्नति
30	संदीप सिंह (अ0पि0व0)	2011079	15.12.1985	25.07.2009	सीधी भर्ती
31	सत्येन्द्र नारायण सिंह (सा0)	2009187	06.05.1975	06.08.2009	प्रोन्नति
32	संगीत कुमार (सा0)	2011065	23.12.1980	25.07.2009	सीधी भर्ती
33	परमवीर सिंह (सा0)	2009188	20.11.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
34	पवन कुमार (अ0पि0व0)	2011029	07.06.1974	25.07.2009	सीधी भर्ती
35	मनोज कुमार गुप्ता (अ0पि0व0)	2009189	25.07.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
36	निशांत मिश्रा (सा0)	2011041	02.07.1979	25.07.2009	सीधी भर्ती
37	संजय कुमार गुप्ता (अ0पि0व0)	2009190	06.01.1973	06.08.2009	प्रोन्नति
38	मनोज कुमार शुक्ला (सा0)	2009191	13.11.1969	06.08.2009	प्रोन्नति
39	अब्दुल सलीम (अ0पि0व0)	2009192	07.12.1975	06.08.2009	प्रोन्नति
40	सौरभ कुमार श्रीवास्तव (सा0)	2011026	30.07.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
41	विनय श्रीवास्तव (सा0)	2009193	05.02.1976	06.08.2009	प्रोन्नति
42	अनिल कुमार सिंह (अ0पि0व0)	2009194	12.05.1973	06.08.2009	प्रोन्नति
43	श्याम देव कुमार सिंह (सा0)	2011088	24.07.1985	25.07.2009	सीधी भर्ती
44	संदीप राजन (सा0)	2011020	27.02.1985	25.07.2009	सीधी भर्ती
45	विनोद कुमार शाही (सा0)	2009196	18.12.1970	06.08.2009	प्रोन्नति
46	अनिल कुमार सिंह (अ0पि0व0)	2011061	17.12.1986	25.07.2009	सीधी भर्ती
47	संदीप गुप्ता (सा0)	2009197	24.04.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
48	सौरभ पाण्डेय (सा0)	2011040	20.11.1984	25:07.2009	सीधी भर्ती
49	मनोज कुमार सिंह (सा0)	2009198	20.07.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
50	हरजीत सिंह (सा0)	2011059	19.07.1978	25.07.2009	सीधी भर्ती
51	कमलेन्दु कुमार ठाकुर (सा0)	2009199	10.11.1972	06.08.2009	प्रोन्नति

क्रमश : 30/-

Paswan.

52	मुजीब अहमद (अ0पि0व0)	2011050	15.01.1984	25.07.2009	सीधी भर्ती
53	जितेन्द्र कुमार (सा0)	2009200	10.01.1980	06.08.2009	प्रोन्नति
54	प्रमेन्द्र कुमार चौधरी (अ0पि0व0)	2009201	30.06.1976	06.08.2009	प्रोन्नति
55	बिपिन सिंह (अ0पि0व0)	2011071	09.01.1986	25.07.2009	सीधी भर्ती
56	बृजेश कुमार चौधरी (अनु0जा0)	2011046	02.11.1975	25.07.2009	सीधी भर्ती
57	नवीन कुमार श्रीवास्तव (सा0)	2009203	13.08.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
58	मनीष कुमार मिश्रा (सा0)	2011047	04.05.1978	25.07.2009	सीधी भर्ती
59	अरूण सिंह कुशवाहा (अ0पि0व0)	2009204	30.06.1977	06.08.2009	प्रोन्नति
60	सुदीप सिंह (अ0पि0व0)	2011110	22.05.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
61	नरेन्द्र प्रताप सिंह (अ0पि0व0)	2009205	17.07.1975	06.08.2009	प्रोन्नति
62	अभिषेक सक्सेना (सा0)	2011105	26.03.1982	25.07.2009	सीधी भर्ती
63	आलोक कुमार सिंह (सा0)	2009206	01.01.1973	06.08.2009	प्रोन्नति
64	संजय कुमार पाण्डेय (सा0)	2011095	11.12.1981	25.07.2009	सीधी भर्ती
65	अर्जुन लाल (अ0पि0व0)	2009207	15.07.1967	06.08.2009	प्रोन्नति
66	शहाबुद्दीन अंसारी (अ0पि0व0)	2011019	05.03.1984	25.07.2009	सीधी भर्ती
67	पंकज कुमार (अ0पि0व0)	2011055	12.07.1981	25.07.2009	सीधी भर्ती
68	सुरेन्द्र नाथ (अनु0जा0)	2009209	05.08.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
69	आशीष शर्मा (सा0)	2011028	30.10.1985	25.07.2009	सीधी भर्ती
70	मुहम्मद अशरफ (अ0पि0व0)	2009210	29.08.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
71	नवीन कुमार (सा0)	2011024	13.10.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
72	यशवन्त कुमार वर्मा (अ0पि0व0)	2009211	16.11.1979	06.08.2009	प्रोन्नति
73	यमुना सोनकर (अनु0जा0)	2011015	1108.1978	25.07.2009	सीधी भर्ती
74	राजीव सिंह (अ0पि0व0)	2009212	17.01.1973	06.08.2009	प्रोन्नति
75	स्वराज्य अग्निहोत्री (सा0)	2011097	15.08.1978	25.07.2009	सीधी भर्ती
76	उत्तरेश कुमार (अ0पि0व0)	2009213	28.03.1972	06.08.2009	प्रोन्नति
77	रियासत अली (अ0पि0व0)	2009214	03.01.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
78	बृजेश यादव (अ0पि0व0)	2011067	12.01.1985	25.07.2009	सीधी भर्ती
79	शिव हरि (अ0पि0व0)	2009215	07.08.1968	06.08.2009	प्रोन्नति
80	हरीश अवस्थी (सा0)	2011058	01.06.1986	25.07.2009	सीधी भर्ती
81	कृपा शंकर मौर्य (अ0पि0व0)	2009216	04.05.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
82	अनूप चन्द्र (अ0पि0व0)	2011063	01.04.1985	25.07.2009	सीधी भर्ती
83	अभिषेक कुमार सिंह (सा0)	2011025	18.07.1986	25.07.2009	सीधी भर्ती
84	देवेन्द्र कुमार सिंह (अ0पि0व0)	2009218	01.06.1973	06.08.2009	प्रोन्नति
85	जितेन्द्र कुमार केशरवानी (सा0)	2011091	08.07.1982	25.07.2009	सीधी भर्ती

क्रमश : 31/-

86	एनायतुल्लाह अंसारी (अ0पि0व0)	2009219	01.07.1971	06.08.2009	प्रोन्नति
87	जितेन्द्र निगम (अनु0जा0)	2011014	23.05.1974	25.07.2009	सीधी भर्ती
88	श्याम कृष्ण (अ0पि0व0)	2009220	20.07.1975	06.08.2009	प्रोन्नति
89	संतोष कुमार दुशाद (अनु0जा0)	2011113	20.09.1978	25.07.2009	सीधी भर्ती
90	मोती लाल यादव (अ0पि0व0)	2009221	10.06.1978	06.08.2009	प्रोन्नति
91	मनोज कुमार चौधरी (अनु0जा0)	2011106	11.03.1984	25.07.2009	सीधी भर्ती
92	रमेश चन्द्र (अ0पि0व0)	2009222	30.09.1973	06.08.2009	प्रोन्नति
93	अभिनव पाण्डया (सा0)	2011048	30.11.1984	25.07.2009	सीधी भर्ती
94	अश्वनी कुमार (सा0)	2009223	20.07.1976	06.08.2009	प्रोन्नति
95	राज कुमार सिंह (सा0)	2011052	15.07.1986	25.07.2009	सीधी भर्ती
96	वेद प्रकाश विश्वकर्मा (अ0पि0व0)	2009224	31.07.1977	06.08.2009	प्रोन्नति
97	प्रदीप कुमार (अनु0जा0)	2011128	26.03.1987	25.07.2009	सीधी भर्ती
98	अश्वनी कुमार (अ0पि0व0)	2009260	13.05.1976	06.08.2009	प्रोन्नति
99	राहुल भट्ट (सा0)	2011034	14.11.1984	25.07.2009	सीधी भर्ती
100	प्रभुनाथ शर्मा (अ0पि0व0)	2009225	29.01.1967	06.08.2009	प्रोन्नति
101	मयंक शेखर (सा0)	2011093	02.02.1986	25.07.2009	सीधी भर्ती
102	अवधेश कुमार पटेल (अ0पि0व0)	2009226	20.01.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
103	अंकित कुमार गुप्ता (सा0)	2011098	25.11.1985	25.07.2009	सीधी भर्ती
104	शिव कुमार (अनु0जा0)	2009227	01.01.1971	06.08.2009	प्रोन्नति
105	विभोर अग्रवाल (सा0)	2011099	21.09.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
106	सुरेन्द्र सिंह (अनु0जा0)	2010001	08.08.1975	11.03.2010	प्रोन्नति
107	कौशल किशोर प्रजापति (अ0पि0व0)	2011089	22.07.1979	25.07.2009	सीधी भर्ती
108	चरन सिंह (अनु0जा0)	2009228	01.06.1971	06.08.2009	प्रोन्नति
109	राजेन्द्र प्रसाद (अनु0जा0)	2009229	16.06.1967	06.08.2009	प्रोन्नति
110	अतुल प्रताप चन्द्र (अनु0जा0)	2011081	19.02.1987	25.07.2009	सीधी भर्ती
111	ऋषिकेश (अनु0जा0)	2009230	14.12.1975	06.08.2009	प्रोन्नति
112	असुरजीत शर्मा (अ0पि0व0)	2011068	24.06.1984	25.07.2009	सीधी भर्ती
113	शक्ति सागर (अनु0जा0)	2009231	20.01.1972	06.08.2009	प्रोन्नति
114	उदय प्रताप (अनु0जा0)	2009232	05.05.1967	06.08.2009	प्रोन्नति
115	विवेक कुमार (अ0पि0व0)	2011056	01.10.1981	25.07.2009	सीधी भर्ती
116	नीरज कुमार (अनु0जा0)	2009233	12.08.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
117	सुशील कुमार सिंह (अ0पि0व0)	2011075	01.05.1985	25.07.2009	सीधी भर्ती
118	जितेन्द्र कुमार (अनु0जा0)	2009234	10.07.1970	06.08.2009	प्रोन्नति

क्रमश : 32/–

Pawan

119	मनोज कुमार (अनु0जा0)	2011042	21.04.1986	25.07.2009	सीधी भर्ती
120	इन्द्र विजय सिंह (अनु0जा0)	2009235	12.07.1976	06.08.2009	प्रोन्नति
121	शैलेश कुमार (अनु0जा0)	2012096	11.08.1984	25.07.2009	सीधी भर्ती
122	विजय कुमार (अनु0जा0)	2009236	04.08.1975	06.08.2009	प्रोन्नति
123	अनूप वर्मा (अ0पि0व0)	2012097	08.04.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
124	अवनीश कुमार मिश्रा (सा0)	2009237	10.12.1968	06.08.2009	प्रोन्नति
125	विश्वास जी गौतम (अनु0जा0)	2011053	26.12.1985	25.07.2009	सीधी भर्ती
126	प्रियदर्शी चन्द्रशेखर (अनु0जा0)	2009238	08.10.1978	06.08.2009	प्रोन्नति
127	रितेश सिंह (अ0पि0व0)	2011094	09.07.1984	25.07.2009	सीधी भर्ती
128	चौहरजा प्रसाद (अनु0जा0)	2009239	27.07.1973	06.08.2009	प्रोन्नति
129	महावीर प्रसाद वर्मा (अ0पि0व0)	2011030	01.01.1977	25.07.2009	सीधी भर्ती
130	विकम यादव (अ0पि0व0)	2009240	13.05.1975	06.08.2009	प्रोन्नति
131	विनोद कुमार (अनु0जा0)	2011060	25.08.1978	25.07.2009	सीधी भर्ती
132	मुन्नी लाल (अ0पि0व0)	2009241	01.08.1968	06.08.2009	प्रोन्नति
133	संतोष माथुर (अनु0जा0)	2011069	01.01.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
134	अरविन्द कुमार (अनु0जा0)	2009278	01.08.1970	28.10.2009	प्रोन्नति
135	पवन कुमार गुप्ता (अ0पि0व0)	2011012	01.02.1984	25.07.2009	सीधी भर्ती
136	दुष्यन्त कुमार सिंह (अनु0जा0)	2009242	21.07.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
137	महावीर प्रसाद (अनु0जा0)	2011080	10.07.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
138	राघवेन्द्र मिश्रा (सा0)	2009243	12.05.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
139	अमित कुमार (अनु0जा0)	2011023	01.10.1980	25.07.2009	सीधी भर्ती
140	रामकेश (अनु0जा0)	2009244	01.02.1976	06.08.2009	प्रोन्नति
141	प्रभात कुमार शर्मा (अ0पि0व0)	2011090	12.09.1980	25.07.2009	सीधी भर्ती
142	राजेन्द्र वर्मा (अ0पि0व0)	2009245	24.06.1975	06.08.2009	प्रोन्नति
143	सत्येन्द्र कुमार सिंह (सा0)	2009246	31.05.1970	06.08.2009	प्रोन्नति
144	प्रदीप कुमार (अनु0जा0)	2011049	15.06.1986	25.07.2009	सीधी भर्ती
145	लिखनेश्वर प्रसाद शुक्ला (सा0)	2009247	10.08.1977	06.08.2009	प्रोन्नति
146	भरत सिंह धनगर (अ0पि0व0)	2011045	20.03.1979	25.07.2009	सीधी भर्ती
147	नरोत्तम दास (अ0पि0व0)	2009248	15.10.1978	06.08.2009	प्रोन्नति
148	पूरन चन्द्र (अनु0जा0)	2011096	01.03.1979	25.07.2009	सीधी भर्ती
149	अजय कुमार अग्रवाल (सा0)	2009249	06.07.1971	06.08.2009	प्रोन्नति
150	वीरेन्द्र कुमार जौहरवाल (अनु0जा0)	2011031	01.09.1972	25.07.2009	सीधी भर्ती

Keway,

क्रमश : 33/-

151	सुरेश कुमार (अ0पि0व0)	2009250	05.09.1972	06.08.2009	प्रोन्नति
152	पवनेश कुमार (अनु0जा0)	2011062	01.07.1987	25.07.2009	सीधी भर्ती
153	श्रीमती ऊषा वर्मा (अनु0जा0)	2009251	20.09.1975	06.08.2009	प्रोन्नति
154	अरविन्द कुमार सिंह (अ0पि0व0)	2011092	10.02.1976	25.07.2009	सीधी भर्ती
155	अनिल कुमार मौर्य (अ0पि0व0)	2009252	06.05.1969	06.08.2009	प्रोन्नति
156	अमित कुमार गौरव (अनु0जा0)	2011086	10.06.1979	25.07.2009	सीधी भर्ती
157	राजेन्द्र कुमार (अनु0जा0)	2009253	04.07.1970	06.08.2009	प्रोन्नति
158	राकेश कुमार (अनु0जा0)	2011037	20.01.1980	25.07.2009	सीधी भर्ती
159	कलीम इस्माईल (अ0पि0व0)	2009254	08.07.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
160	शराफत अली (अ0पि0व0)	2009255	12.10.1969	06.08.2009	प्रोन्नति
161	विजय कुमार सिंह (अ0पि0व0)	2011017	16.04.1976	25.07.2009	सीधी भर्ती
162	मसरूर मियां (अ0पि0व0)	2009256	25.12.1971	06.08.2009	प्रोन्नति
163	संतोष कुमार (अनु0जा0)	2011057	05.07.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
164	संतोष कुमार सोनकर (अनु0जा0)	2009257	15.04.1976	06.08.2009	प्रोन्नति
165	अमरजीत (अनु0जा0)	2009258	01.07.1974	06.08.2009	प्रोन्नति
166	प्रशान्त प्रेम (अनु0जा0)	2011078	29.07.1979	25.07.2009	सीधी भर्ती
167	कु0 अनुराधा (अ0पि0व0)	2009259	10.08.1977	06.08.2009	प्रोन्नति
168	आशीष कुमार सिंह (अ0पि0व0)	2011027	17.03.1986	25.07.2009	सीधी भर्ती
169	राजेश कुमार मौर्या (अ0पि0व0)	2011114	01.07.1980	25.07.2009	सीधी भर्ती
170	आलोक कुमार (अ0पि0व0)	2011038	10.09.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
171	विवेक कुमार (अ0पि0व0)	2011036	19.03.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
172	नितेन्द्र कुमार (अनु0जा0)	2011111	11.07.1983	10.08.2009	सीधी भर्ती
173	अनिल कुमार (अनु0जा0)	2011022	13.08.1984	25.07.2009	सीधी भर्ती
174	नीरज सिंह जाटव (अनु0जा0)	2011054	07.07.1984	25.07.2009	सीधी भर्ती
175	सुनील चन्द्र (अनु0जा0)	2011100	06.10.1981	25.07.2009	सीधी भर्ती
176	सुशील कुमार (अनु0जा0)	2011103	15.02.1980	25.07.2009	सीधी भर्ती
177	संतोष कुमार आनन्द (अनु0जा0)	2011102	15.06.1985	25.07.2009	सीधी भर्ती
178	दीपक कुमार वर्मा (अनु0जा0)	2011127	04.07.1983	25.07.2009	सीधी भर्ती
179	मनीष कुमार शाह (अनु0ज0जा0)	2011051	30.01.1986	25.07.2009	सीधी भर्ती
180	बलराम (अनु0ज0जा0)	2011104	18.10.1978	25.07.2009	सीधी भर्ती

5— उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में योजित याचिका सं0: 925/2022 (राजीव कुमार श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) के साथ लिंक याचिका सं0: 8382/2022 (अरुण कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) एवं

Parveen,

क्रमश : .....34/—

याचिका सं0: 1613/2022 (मोहम्मद शाहिद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं0: 4754/22 (अभय कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य), याचिका सं0: 8508/20 (मनीष कुमार मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 व अन्य) तथा याचिका सं0: 9045/2026 (सुरेश कुमार प्रजापति व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) के प्रतिबन्धाधीन निर्गत की जा रही है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 3410 **(1)मा0सं0(01)/वि0उ0नि0लि0/2026–तददिनॉक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
4– मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, अनपरा/ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी/जवाहरपुर, तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पारीछा (झाँसी)/पनकी (कानपुर)/मलावन (एटा)।
5– मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)/तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/पीपीएमएम/आर0 एण्ड एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6– मुख्य अभियन्ता (जानपद–नव परियोजनाएँ), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8– मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9– अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/टाण्डा वाइंडिग सेल/प्रशिक्षण, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10– कट फाईल।

आज्ञा से,

29/09/26

(पवन कुमार गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–01)